Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2022-23

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2022-23

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2022-23

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. त्रिलोचन महापात्र
(31 जुलाई 2022 तक)

डॉ. हिमांशु पाठक
(04 अगस्त 2022 से)

श्री संजय गर्ग

डॉ. अशोक दलवाई

श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा
(21 नवम्बर, 2022 से)

डॉ. प्रवीण मलिक
(11 नवम्बर, 2022 तक)

डॉ. के. श्रीनिवास
(13 फरवरी, 2023 तक)

डॉ. जे. बालाजी
(09 मार्च, 2023 से
17 अगस्त, 2023 तक)

डॉ. नीरू भूषण
(09 मार्च, 2023 से)

श्री आनंद मोहन अवस्थी

श्री जी. के. नागराज

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. सुधा मैसूर (22 सितम्बर, 2022 तक)
डॉ. प्रवीण मलिक (22 सितम्बर, 2022 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री सौरभ मुणि (21 जुलाई, 2022 तक)
श्री राहुल कुमार (21 जुलाई, 2022 से)

कम्पनी सचिव

सुश्री धृति मदान

बैंकर्स

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
उद्योग भवन, नई दिल्ली
केनेरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक)
एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स विवेक संजय एण्ड कम्पनी
चार्टेड एकाउन्टेंट्स
पूसा रोड, नई दिल्ली-110005

पंजीकृत कार्यालय

जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली–110012
फोन : 011-25842122

आभार

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, डीकेएमए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-1,
पूसा, नई दिल्ली 110012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कम्पनी के प्रदर्शन पर एक नजर	1-8
निदेशक का प्रतिवेदन	9-39
तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण	40-63
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	64-77
सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	78-83
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	84-85

डॉ हिमांशु पाठक
Dr HIMANSHU PATHAK

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

संदेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई किस्मों के विकास, बायोफॉर्मुलेशन, रोग नियंत्रण और रोकथाम के तरीकों, खेती की तकनीकों के साथ-साथ कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने में सर्वाधिक कार्य करती है। आईसीएआर ने स्थायी तरीके से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां और कृषि पद्धतियां विकसित की हैं। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के माध्यम से आईसीएआर प्रौद्योगिकियों के प्रचार ने कृषि में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन विकासों ने परिशुद्ध खेती, जैविक खेती तकनीक, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों के उपयोग के साथ-साथ स्मार्ट सिंचाई प्रणाली पहल जैसी प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे न केवल कृषि उत्पादकता में सुधार होगा बल्कि इनपुट लागत को कम करने में भी योगदान मिलेगा। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), आईसीएआर द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और व्यावसायीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रौद्योगिकियां देश भर में अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचें। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंसिंग समझौते और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान करके, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड आईसीएआर और अंत-उपयोक्ता के बीच अनुसंधान फासले को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मैं, वर्ष के दौरान 10.01 करोड़ रुपयों के सकल राजस्व उत्पन्न करने हेतु एग्रीनोवेट टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। एग्रीनोवेट ने वर्ष के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को 123 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं। AgIn ने प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए और प्रौद्योगिकियों को अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा तेजी से अपनाने के लिए उद्योग को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया है। आईसीएआर एवं उद्योग हितधारकों की एक दिवसीय परामर्शक बैठक आयोजित की गई और मंच का उपयोग आईसीएआर संस्थानों द्वारा ग्राहकों/साझेदारों को प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन हेतु किया गया। इस आयोजन को 120 से अधिक उद्योग प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

मैं AgIn को अधिक जीवंत और दृश्यमान बनाने के लिए सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को शामिल करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

(हिमांशु पाठक)
अध्यक्ष

संदेश

आज कृषि के समक्ष जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा जैसी कई चुनौतियाँ हैं। आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) नवाचार को बढ़ावा देकर देश में कृषि क्षेत्र के विकास में अग्र स्थान पर है। देश भर में अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, आईसीएआर कृषि के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संगठन है जिसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच के फासले को पाटना है। यह नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करता है। वैज्ञानिकों, किसानों और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपनी स्थापना के बाद से ही कंपनी बाजार में अपनी उपस्थिति बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए बाजार के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों के अधिक से अधिक व्यावसायीकरण में आईसीएआर संस्थानों को सहायता करने हेतु अथक प्रयास कर रही है। आईसीएआर के लगभग 60 संस्थान पहले ही एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के साथ जुड़ चुके हैं और AgIn के माध्यम से अपनी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं। मैं संस्थानों को शामिल करने और प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं और ये प्रयास शेष संस्थानों और राज्य कृषि विद्यालयों को भी शामिल करने के लिए जारी रहेंगे।

मैं कंपनी के प्रबंधन, वर्तमान और पूर्व निदेशकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और वार्षिक प्रतिवेदन में 2022-23 के दौरान उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियों और प्रचारों का सार एक साथ लाने में टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं।

(संजय गर्ग)
उपाध्यक्ष, एग्रीनोवेट

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

एग्रीनोवेट की एक झलक

(रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान)

मानव संसाधनों की क्षमताओं और नवाचार के कुशल उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) और क्षमता संचालित कृषि विकास में नवाचार को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने, बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कंपनी का लक्ष्य बाजार पक्ष में नवाचारों की सफलता में चुनौतियों जैसे नियामक आवश्यकताएं, बाजार की मांग, आर्थिक व्यवहार्यता, एकीकरण और अन्य विविध व्यावहारिक मुद्दे को समझना और समाधान करना है। यह प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और आकलन के लिए विशेषज्ञों/नवप्रवर्तकों के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है और उनके आईपी हितों की रक्षा के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। यह न केवल प्रौद्योगिकी की दृश्यता के लिए बल्कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत प्रभावी सहयोग को एकजुट करने के लिए एक प्रभावी फीडबैक तंत्र के लिए संस्थान और ग्राहकों के बीच एक इंटरफेस तैयार करता है। यह भविष्य के बाजारों और आईपी की आय सृजन क्षमता की बेहतर समझ द्वारा प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान के लिए नवप्रवर्तकों का भी समर्थन करता है।

संक्षेप में, एग्रीनोवेट संस्थान और उद्योग दोनों के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है–

1. प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक सरल बिंदु के रूप में कार्य करना।
2. बाजार के मानक और वाणिज्यिक क्षमता के अनुसार प्रौद्योगिकियों का बेहतर मूल्यांकन प्रदान करना।
3. व्यावसायीकरण से पहले उपयुक्त आईपीआर दाखिल करने के संबंध में नवप्रवर्तक को मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. संगठन को सुरक्षित रखना।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की प्रगति रिपोर्ट

आईसीएआर के कुल 98 अनुसंधान संस्थानों में से केवल 59 संस्थान ही एग्रीनोवेट से जुड़े हुए हैं; जबकि 39 संस्थान अभी भी संस्थान स्तर पर अपनी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं। इन 59 संस्थानों ने कुल 581 प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं, जिनमें से 165 प्रौद्योगिकियों का स्थानीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योगों को सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया गया है। शुरुआत से लेकर अब तक सौंपे गए और व्यावसायीकरण किए गए प्रौद्योगिकियों की संख्या का विषयवस्तु प्रभाग (एसएमडी) के अनुसार सारांश यहां दिया गया है। (तालिका I)

प्रभाग/विषय वस्तु प्रभाग का नाम	संस्थानों/राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों की संख्या	जुड़े हुए संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या जो अभी तक नहीं जुड़े हैं	31.3.22 तक सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	31.3.22 तक लाईसेंस जारी की गई प्रौद्योगिकियां	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाईसेंस जारी की गई प्रौद्योगिकियों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सौंपी गई प्रौद्योगिकियों सहित)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रौद्योगिकीलाईसेंस करारनामों की संख्या
कृषि अभियांत्रिकी	5	4	1	11	3	1	2 (1)	3
पशु विज्ञान	19	16	3	124	35	41	31 (4)	28
फसल विज्ञान	27	18	9	145	44	48	17 (6)	22
मत्स्य विज्ञान	8	6	2	52	12	13	5 (3)	4
बागवानी विज्ञान	23	11	12	87	42	10	29 (7)	34
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	16	4	12	16	6	3	2(1)	4
उप-कुल	98	59	39	435	142	116	86 (23)	95
राज्य कृषि विश्वविद्यालय	63	5	58	3	2	0	1	1
कुल योग	161	64	97	438	144	116		96

2022-23 के दौरान 123 टेक्नोलॉजीस जिनसे सबंधित कुल 96 टेक्नोलॉजी लाईसेंस एग्रीमेंट निष्पादित किए गए हैं जिससे कुल 10.01 करोड़ रूपयों का राजस्व अतिरिक्त जीएसटी (रॉयल्टी सहित) प्राप्त हुआ। ये प्रौद्योगिकियाँ फसल विज्ञान (12.49%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (64.27%), बागवानी (20.47%) और मत्स्य पालन (2.76%) क्षेत्र से सामने आई। इसके अलावा कंपनी अपनी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करने का प्रयास कर रही है और हम अब तक सौंपी गई 3 प्रौद्योगिकियों में से तीनों ही प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए हैं (चित्र I)।

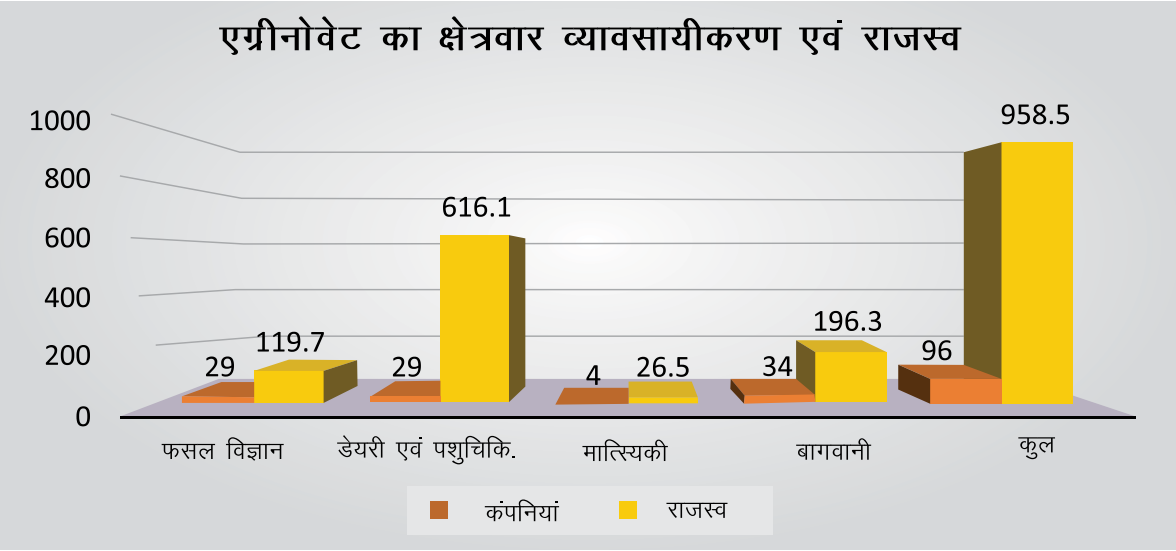

चित्र I - वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रवार व्यावसायीकरण और उत्पन्न राजस्व

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण न होने के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की पहचान करता है। कई प्रौद्योगिकियों को प्रारंभिक चरण में कम टीआरएल स्तर के साथ व्यावसायीकरण के लिए सौंपा गया है जिनमें निम्न व्यावसायिक क्षमता होती हैं। अधिकांश जैव-सूत्रीकरणों या संबंधित प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में सीआईबीआरसी पंजीकरण सहित नियामक अनुपालनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जैव-प्रभावकारिता; विष विज्ञान संबंधी डेटा और फील्ड परीक्षणों की मांग की जाती है। अच्छी व्यावसायिक क्षमता वाली प्रौद्योगिकियों को यदि पर्याप्त रूप से आईपी संरक्षित नहीं किया जाता है, तो अक्सर नकल करना आसान हो जाता है और इस प्रकार उद्योग की मांग में गिरावट आती है। कृषि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। यह बदले में उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आगे आने से रोकता है और कई उद्योग प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि खो देते हैं। इसके इलावा, कुछ प्रौद्योगिकियां जो आईपी संरक्षित हैं, कम औद्योगिक अनुप्रयोग के कारण उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता भी कम हो सकती हैं। कभी-कभी, आईसीएआर संस्थानों के बीच प्रौद्योगिकियों के दोहराव से समान प्रौद्योगिकियों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और इससे निवेशक की रुचि कम हो जाती है। यहां तक कि ग्राहकों के अनुरोधों का जवाब देने में देरी के परिणामस्वरूप रुचि की अभिव्यक्ति के बाद भी वाणिज्यिकरण नहीं हो पाता हैं।

एग्रीटेक ट्रांसफर में उपरोक्त बाधाओं को समझते हुए, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, क्रमिक रूप से संस्थानों को ऐसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने की सलाह देकर उन्हें संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। बाजार की मांग और चल रही अनुसंधान गतिविधियों के बीच अंतर को पाटने के लिए, उद्योग हितधारक परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रयास शुरू किए गए हैं, इससे नई प्रौद्योगिकियों के विकास या प्रत्येक संगठन की विशेषज्ञता को पहचानकर पारस्परिक हितों वाली प्रौद्योगिकियों को विकास के शुरुआती चरणों में परिपक्व करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, कंपनी की दृश्यता बढ़ाने के लिए ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग और विज्ञापन जैसी अन्य गतिविधियाँ चल रही हैं।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एग्रीटेक हस्तांतरण की चयनित सफलताओं की कहानियाँ :

आईसीएआर-सीपीआरआई एरोपोनिक प्रौद्योगिकी

वायरस मुक्त आलू के उत्पादन के गंभीर मुद्दे को कम करने के लिए आईसीएआर-सीपीआरआई ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जहां मिट्टी के उपयोग के बिना इस उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किए गए वायु धुंध वातावरण का उपयोग किया जाता है। नेट हाउस परिस्थितियों में खेती की तुलना में इस प्रौद्योगिकी ने उत्पादकता में 7-10 गुना वृद्धि सुनिश्चित की है। साथ ही पानी का कुशल उपयोग और पोषक तत्वों का विनियमन, प्रौद्योगिकी को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इस तकनीक को अन्य फसलों जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बैंगन, मिर्च, पालक आदि में भी दोहराया जा सकता है। इसके फायदों और संभावनाओं को देखते हुए बहुत से ग्राहकों ने इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में रुचि व्यक्त की है।

अब तक, प्रौद्योगिकी को देश भर में गैर-विशिष्ट आधार पर 24 विभिन्न सार्वजनिक/निजी उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है, जिससे आईसीएआर को लाइसेंस शुल्क के रूप में 2 करोड़ रुपये और लगभग 10 वर्षों की अवधि में रॉयल्टी के रूप में 5 लाख रुपयों से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्तमान में ये कंपनियां देश भर में आलू की विभिन्न किस्मों के लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन मिनी-कंदों का उत्पादन कर रही हैं और देश की लगभग 20-25% गुणवत्ता वाले आलू बीज की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं, जो अन्य उत्साही उद्यमियों के लिए बड़ी संभावनाओं का संकेत है।

एरोपोनिक आधारित बीज उत्पादन प्रणाली

सूक्ष्म प्रवर्धन

सूक्ष्मपादकों का दृढ़ीकरण

दृढीकृत पादपों को रोपोनिक व्यवस्था में स्थानांतरण

जड़ विकास

मिनीकंदों का विकास

एरोपोनिकल रुप से उत्पादित मिनीकंद

आईसीएआर-आईआईएचआर अर्का मैक्रोबियल कंसार्टियम

विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों और कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण बिगड़ती मिट्टी के स्वास्थ्य के तहत फसल उत्पादकता में गिरावट के समाधान के लिए; आईसीएआर-आईआईएचआर ने टिकाऊ कृषि के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प विकसित किए हैं जो संभावित माइक्रोबियल नस्लों यानी अर्का माइक्रोबियल कंसोर्टियम की शक्ति का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी एक वाहक/तरल आधारित उत्पाद है जिसमें एन फिक्सिंग, पी एवं जिंक घुलनशीलता, के मोबिलाइजिंग और पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले जीवाणु नस्ल शामिल हैं। यह फॉर्मूलेशन प्रत्येक माइक्रोबियल उपभेदों के सहक्रियात्मक प्रभावों का फायदा उठाता है और प्रत्येक माइक्रोबियल इनोकुलेंट लगाने की आवश्यकता को दूर करता है। यह अकार्बनिक

नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की 25% की बचत के साथ, विभिन्न सब्जियों में उपज में 10-17% तक की वृद्धि करता है।

यह तकनीक जैव सूत्रण उद्योगों के लिए अच्छे व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है। अब तक, प्रौद्योगिकी को देश भर में गैर-विशिष्ट आधार पर 19 विभिन्न सार्वजनिक/निजी उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है, जिससे आईसीएआर को लाइसेंस शुल्क के रूप में एक करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्तमान में ये कंपनियां देश के विभिन्न हिस्सों में इस फॉर्मूलेशन का निर्माण और आपूर्ति कर रही हैं और देश की लगभग 20-25% जैव एनपीके आवश्यकता को पूरा कर रही हैं और रासायनिक उर्वरकों की खपत को कुशलतापूर्वक विकल्प दे रही हैं।

आईसीएआर-आईएआरआई पूसा डिकम्पोजर प्रौद्योगिकी

देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाने के कारण होने वाले वार्षिक शीतकालीन धुंध के संकट को ध्यान में रखते हुए, आईसीएआर-आईएआरआई ने माइक्रोबियल नस्लों का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल श्पूसा डीकंपोजर तकनीकश विकसित की है जो लगभग एक अभूतपूर्व अवधि के भीतर धान के भूसे के अपघटन को तेजी से, पारंपरिक 45 दिनों से बिल्कुल विपरीत 20 दिनों में उत्प्रेरित करती है। यह कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में क्रांति लाने वाली एक अभूतपूर्व बायो-डीकंपोजर तकनीक है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने 23 विभिन्न उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण किया है, जिससे लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी के रूप में 61 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले तीन वर्षों में 2 लाख किसानों द्वारा इसे महत्वपूर्ण रूप से अपनाने का संकेत मिलता है। यह सफलता न केवल प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की पहल को बढ़ावा देती है, बल्कि कृषि के लिए एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का भी संकेत देती है।

आईसीएआर-फ्यूजिकांट प्रौद्योगिकी

केले की फसल के लिए बनाना फ्यूजारियम विल्ट (TR-4) एक महत्वपूर्ण खतरा है, जिससे उत्पादकों को काफी नुकसान होता है और यह मृदा एवं जल के माध्यम से तेजी से फैलता है। हालाँकि, आशा की एक किरण के रूप में ICAR-FUSICONT तकनीक उभरी है, जो एक अभूतपूर्व समाधान है जो किसानों को इस विनाशकारी बीमारी का निदान और प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।

ICAR-FUSICONT तकनीक न केवल फ्यूजारियम विल्ट (TR-4) से निपटने में प्रभावी साबित हुई है, बल्कि इसे बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। एक समय

भारी नुकसान से जूझ रहे इन क्षेत्रों में, इस तकनीक द्वारा पेश किए गए नवोन्मेषी दृष्टिकोण की बदौलत, केले के फ्यूजारियम विल्ट के खिलाफ लड़ाई में बदलाव देखा गया है।

व्यापक कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एग्रीनोवेट ने ICAR-FUSICONT प्रौद्योगिकी को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सहयोगात्मक प्रयास में, प्रौद्योगिकी को आईसीएआर-सीएसएसआरआई, करनाल और आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित दो उद्योगों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, एग्रीनोवेट ने कृषि प्रथाओं में इस तकनीक के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है, जिससे इन क्षेत्रों में केला उत्पादकों को आशा की किरण प्राप्त हुई है।

परिणाम आशाजनक हैं, ICAR-FUSICONT तकनीक बनाना फ्यूजारियम विल्ट (TR-4) रोग को 95% तक नियंत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। यह न केवल किसानों के नुकसान को कम करता है बल्कि केले की खेती की समग्र स्थिरता में भी योगदान देता है। इस तकनीक का सफल कार्यान्वयन कृषि चुनौतियों को संबोधित करने और उन पर काबू पाने में अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत और कृषि हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

केले के छद्म तने के उपयोग से तरल जैविक सूत्रण

केले के गुच्छों की कटाई में, किसानों को आमतौर पर छोड़े गए छद्म तनों की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अक्सर दुनिया भर में खेतों के किनारे या सड़कों के किनारे छोड़ दिया जाता है। यह प्रथा न केवल किसानों के लिए उत्पादन लागत बढ़ाती है बल्कि विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ भी पैदा करती है।

रेशा निष्कर्षण के दौरान प्राप्त उप-उत्पाद, बनाना स्यूडोस्टेम सैप के उपयोग के माध्यम से एक अभिनव समाधान सामने आया है। यह रस पौधों के पोषक तत्वों और विकास नियामकों का एक मूल्यवान स्रोत साबित होता है। अवायवीय ऊष्मायन की प्रक्रिया के माध्यम से, इसे एक स्थायी विकल्प प्रदान करते हुए, जैविक आदानों से समृद्ध किया जा सकता है। समृद्ध रस को ड्रिप प्रणाली के माध्यम से सीधे फसलों में डाला जा सकता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता प्रभावी ढंग से कम हो जाती है।

यह महत्वपूर्ण तकनीक, जिसे "केले के छद्म तने के उपयोग से तरल जैविक सूत्रण" के रूप में जाना जाता है, का प्रारम्भ भारत के गुजरात में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। प्रभावशाली ढंग से, इस पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी समाधान को वैश्विक स्तर पर सफलता मिली है, जिसे तीन उद्योगों - दो अंतर्राष्ट्रीय और एक भारत में - द्वारा व्यावसायिक रूप से अपनाया गया है। यह न केवल छद्म तना अपशिष्ट के मुद्दे का समाधान करता है बल्कि जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुरूप परिवर्तनकारी कृषि प्रथाओं की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है।

लिम्पी-प्रोवैक इंड (लम्पी त्वचा रोग वैक्सीन) टेक्नोलॉजी

लिम्पी त्वचा रोग, जो मवेशियों की आबादी में एक चिंता का विषय है, ने इस नवीन प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है, जिसमें त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर गांठ का विकास होता है।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार ने लिम्पी-प्रोवैक इंड तकनीक विकसित की, जो लिम्पी त्वचा रोग को रोकने के लिए स्वदेशी वायरस का उपयोग करने वाला एक टीका है। एग्रीनोवेट ने इस तकनीक को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के संगठनों सहित चार प्रतिष्ठित ग्राहकों तक स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसे कुल 3.00 करोड़ के राजस्व सृजन से पूरक बनाया गया है।

मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (H9N2) टीका

H9N2 एवियन इन्फ्लूएंजा का एक उपप्रकार है, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, जो पोल्ट्री को प्रभावित करता है। इसे कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एलपीएआई) वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह आमतौर पर संक्रमित पक्षियों में हल्के लक्षण या कोई लक्षण ही नहीं दर्शाता है। हालाँकि, H9N2 तेजी से फैलने और संभावित रूप से अधिक गंभीर रूपों में परिवर्तित होने की क्षमता के कारण पोल्ट्री उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।

ICAR-NIHSAD ने मुर्गियों के लिए 'इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा (H9N2) वैक्सीन' विकसित की है। यह टीका पोल्ट्री आबादी में H9N2 के प्रसार को नियंत्रित करने, पशु स्वास्थ्य की रक्षा करने और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिमों को कम करने में एक महत्वपूर्ण टूल का प्रतिनिधित्व करता है।

एग्रीनोवेट इंडिया ने पोल्ट्री वैक्सीन जगत में चार प्रमुख उद्योगों को इस वैक्सीन तकनीक के सफल हस्तांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्थानांतरण अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी सहयोग को प्रदर्शित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नवीन समाधान बाजार तक पहुंचें। कई उद्योग जगत के लोगों की भागीदारी पोल्ट्री वैक्सीन क्षेत्र के भीतर प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने का संकेत

देती है और 1.31 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न हुई है जो हस्तांतरित प्रौद्योगिकी की आर्थिक व्यवहार्यता को रेखांकित करती है।

(प्रवीण मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर अपनी बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय उपलब्धियां (स्टैंडअलोन एण्ड कंसालीडेटेड)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

(रूपए सैकड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	परिचालन से राजस्व	10,01,960	5,33,443
2.	अन्य आय	4,62,632	2,81,135
3.	कुल व्यय	9,93,562	6,08,560
4	सकल लाभ	4,71,030	2,06,018
5.	कर हेतु प्रावधान	1,19,784	51,908
6.	कर के उपरान्त शुद्ध लाभ	3,51,247	1,54,110

कंपनी की 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण तैयार किया गया है और इसे अनुमोदन के लिए रखा गया है।

परिचालन सारांश

कंपनी ने परिचालन से पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की 5.33 करोड़ रुपयों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 10.01 करोड़ रुपयों का राजस्व हासिल किया है। मूल्यह्रास 0.03 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में यह 0.04 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी ने रु. 3.51 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जब कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह लाभ 1.54 करोड़ रुपये था। प्रति व्यवसाय प्रबंधक का राजस्व 133.37 लाख रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 250.49 लाख रूपए हो गया है।

कंपनी के मामलों की स्थिति

कंपनी विभिन्न आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने, प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, विभिन्न हितधारकों के लिए संगठन के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित

व्यक्तिगत उद्यमियों को रुपये 10.01 करोड़ (करों को छोड़कर) के सकल राजस्व पर 123 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

व्यावसायीकरण की गई 123 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग वाली उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं,

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
1.	आईसीएआर-एनआरसीई एवं आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित लम्पी त्वचा रोग के लिए सजात वैक्सीन	4	300
2.	आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित लाइव एटेन्यूएटेड इंडिजीनियस सीएसएफ सेल कल्चर वैक्सीन (IVRI-CSF-BS)	1	60
3.	आईसीएआर-एनआईएसएचएडी द्वारा विकसित लो-पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा (LPAI) वैक्सीन	4	131.25
4	आईसीएआर-आईएआरआई द्वारा विकसित एचटी ट्रैट डॉनर राइस जीनोटाइप टेक्नोलॉजी।	1	30
5.	आईसीएआर-आईआईएसआर द्वारा विकसित हार्ड जिलेटिन-बायोकैप्सूल के माध्यम से कृषि के लिए महत्वपूर्ण रोगाणुओं के भंडारण और वितरण की एक नवीन विधि	1	30
6.	आईसीएआर-सीपीआरआई द्वारा विकसित एरोपोनिक प्रौद्योगिकी।	2	27
7.	आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित बकरी-पॉक्स से बचाव के लिए एक जीवित क्षीणित वेरो सेल आधारित बकरी-पॉक्स टीका।	1	12.50
8.	आईसीएआर-आईआईएचआर द्वारा विकसित संकर मिर्च IHE4615, MS4, IHR4597 और CGMS लाइन 4392/4393	1	11.50
9.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित केले स्यूडोस्टेम का उपयोग करके तरल कार्बनिक फॉर्मूलेशन	1	23.94
	कुल	16	626.19

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 37 तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से 8 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गईं:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक का दिनांक
1	भाकृअनुप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	13.05.2022
2.	भाकृअनुप-शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल	06.12.2022
3.	भाकृअनुप-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	08.12.2022
4	भाकृअनुप-राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी संस्थान	15.12.2022
5.	भाकृअनुप-राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जानपदिक रोग विज्ञान एवं रोग सूचना संस्थान, बैंगलोर	06.02.2023
6.	भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	07.02.2023
7.	भाकृअनुप-राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली	21.02.2023
8.	भाकृअनुप-भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	22.03.2023

व्यावसायीकरण की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को समझाने के लिए विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के साथ कई जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं।

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के सीईओ एवं उनके टीम के लगातार और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ और कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार ब्रेकईवन बिंदु तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

आईसीएआर उद्योग हितधारकों की परामर्श बैठक

कंपनी ने प्रौद्योगिकियों को अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा तेजी से अपनाने के लिए उद्योग को तैयार करने हेतु अनुसंधान को आगे बढ़ाने में निजी सहयोग का पता लगाने के लिए 6 मार्च 2023 को एक दिवसीय आईसीएआर उद्योग हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया। तदनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा और औपचारिक रूप देने के लिए, आईसीएआर-उद्योग बैठक की परिकल्पना हमारे प्रमुख हितधारकों यानी आईसीएआर संस्थानों के नवप्रवर्तकों को हमारे ग्राहकों/प्रौद्योगिकी भागीदारों के सामने अपनी प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ की गई थी और साथ ही अनुसंधान को सकारात्मक परिणाम के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए बाजार से मिलने वाली प्रतिक्रिया को समझना।

इस कार्यक्रम ने उद्योग और संस्थानों के बीच अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने, समस्याओं पर चर्चा करने और नवप्रवर्तकों के बीच अंतर्निहित विचारों पर चर्चा करने और उन्हें प्रभावी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक सहज आचरण के रूप में काम किया। यह हमारे खरीदारों (ग्राहकों) और विक्रेताओं (संस्थानों) दोनों के लिए बातचीत करने, नवप्रवर्तकों को एग्रीनोवेट के माध्यम से उनकी प्रौद्योगिकियों को सहयोग करने, विकसित करने और व्यावसायीकरण करने के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करने का एक मंच था।

यह आयोजन सभी क्षेत्रों नामत: फसल विज्ञान, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि इंजीनियरिंग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा और जैव सूत्रण के लिए ब्रेकआउट सत्र के रूप में आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री कैलाश चौधरी, सचिव एवं महानिदेशक (डीएआरई/आईसीएआर) डॉ. हिमांशु पाठक उपस्थित थे। विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निजी क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों के साथ यह बैठक बेहद सफल रही और इसमें 120 से अधिक उद्योग प्रतिभागियों, सभी आईसीएआर संस्थानों, एसएयू आदि ने भाग लिया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर परिचयात्मक और जागरूकता बैठक

24 मार्च 2023 को आईसी समिति के सदस्यों और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक परिचयात्मक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें POSH अधिनियम, 2013 के क्या करें और क्या न करें पर एक प्रस्तुति देने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में पॉश एचके एसोसिएट्स की सुश्री हीना खुराना नागपाल को आमंत्रित किया गया था।

कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर था:

1. POSH अधिनियम की विस्तृत समझ।
2. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आते हैं
4. कार्यस्थल पर तथा बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
5. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार।
6. झूठी शिकायतों के परिणाम
7. आईसी समिति आदि के बारे में जागरूकता।

- 24 जनवरी 2023 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के रास्ते तलाशने के लिए आईएफआईए भारत के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।
- आईसीएआर-निवेदी,आईसीएआर-एनबीएआईआर,आईसीएआर-एनआईएएनपी,आईसीएआर-एनडीआरआई और आईआईएससी-बैंगलोर में 6 और 7 फरवरी 2023 के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में आईटीएमयू के साथ चर्चा की गई।
- बायोफोर्टिफाइड फसलों के व्यावसायीकरण के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग के संबंध में हार्वेस्टप्लस के साथ 7 मार्च 2023 को विभिन्न दौर की चर्चाएं की गई, ताकि एग्रीनोवेट की पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिससे कुपोषण से निपटने के लिए जनता तक पहुंच बनाई जा सके।
- 10 मार्च 2023 को तकनीकी मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के साथ साझेदारी के लिए टीएम सलाहकार श्री नीरज कथूरिया के साथ बैठक आयोजित की गई।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग द्वारा लखनऊ में 28 फरवरी 2023 को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट और टीम ने भाग लिया ताकि जिला बागवानी कार्यालय, कुशीनगर तथा आलू अनुसंधान केन्द्र, हापुड के साथ CIAR-CPRI के दो तकनीकी लाईसेंसों पर हस्ताक्षर किया जा सके।

इनके अलावा, कई प्रतिष्ठित निकायों ने एग्रीनोवेट को नीतिगत विचार-विमर्श, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में भी आमंत्रित किया है। इसमे शामिल है:

- डॉ. सुधा मैसूर, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 20 और 21 मई 2022 को आईसीएआर-आईआईएचआर द्वारा आयोजित 'बागवानी प्रौद्योगिकियों के कुशल वितरण के लिए विस्तार सेवाएं' विषय पर राष्ट्रीय संवाद में 'बागवानी व्यवसाय इनक्यूबेशन और बागवानी क्षेत्र में स्टार्टअप' पर एक मुख्य वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था।
- डॉ. सुधा मैसूर को 20 जुलाई 2022 को नोवेल पोर्टेबल मास स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम के सत्यापन और परीक्षण पर चर्चा के लिए आईसीएआर-सीआईएफटी, कोचीन द्वारा आमंत्रित किया गया था।
- डॉ. सुधा मैसूर ने नई दिल्ली में 'आईपी कमर्शियलाइजेशन इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड लेसन एण्ड पॉलसी अपर्च्यूनिटीस फॉर इंडिया एण्ड डेनमार्क' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के मुख्य करर्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक को 12 नवंबर 2022 को एपीएचसीए, सिंगापुर की 43वीं बिजनेस मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

- चावल की फसलों में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट और आईसीएआर अधिकारियों की उपस्थिति में मेसर्स बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के साथ 29 नवंबर 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- 'बायोइकोनॉमी में तेजी लाने हेतु बायोटेक नवाचारों को बढ़ावा देने' पर जोर देते हुए राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए 15 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया।
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के सहयोग से आईसीएआर द्वारा 'सिलेज उद्योग: डेयरी क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव' विषय पर 21 जनवरी 2023 को आयोजित सेमिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 9 फरवरी 2023 को सफीदों, जिला, जिंद हरियाणा में जैविक खेती कार्यान्वयन और किसान पाठशाला के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- ग्राम गावड़, हिसार, हरियाणा में 10 फरवरी 2023 को आयोजित किसान फार्म प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 'बीज विकास के लिए प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण – एग्रीनोवेट का दृष्टिकोण' पर चर्चा के लिए 4 मार्च 2023 को भारतीय बीज कांग्रेस में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- संयुक्त सचिव (विस्तार) और संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई) की संयुक्त अध्यक्षता में 21 मार्च 2023 को एएजी की 5वीं बैठक में भाग लिया।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2022-23 के दौरान, एग्रीनोवेट ने कई आईयीएआर संस्थानों को प्रभावी ढंग से संभाला और 10.01 करोड़ रुपये (रॉयल्टी सहित) का सकल राजस्व अर्जित करते हुए कुल लगभग 123 प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित

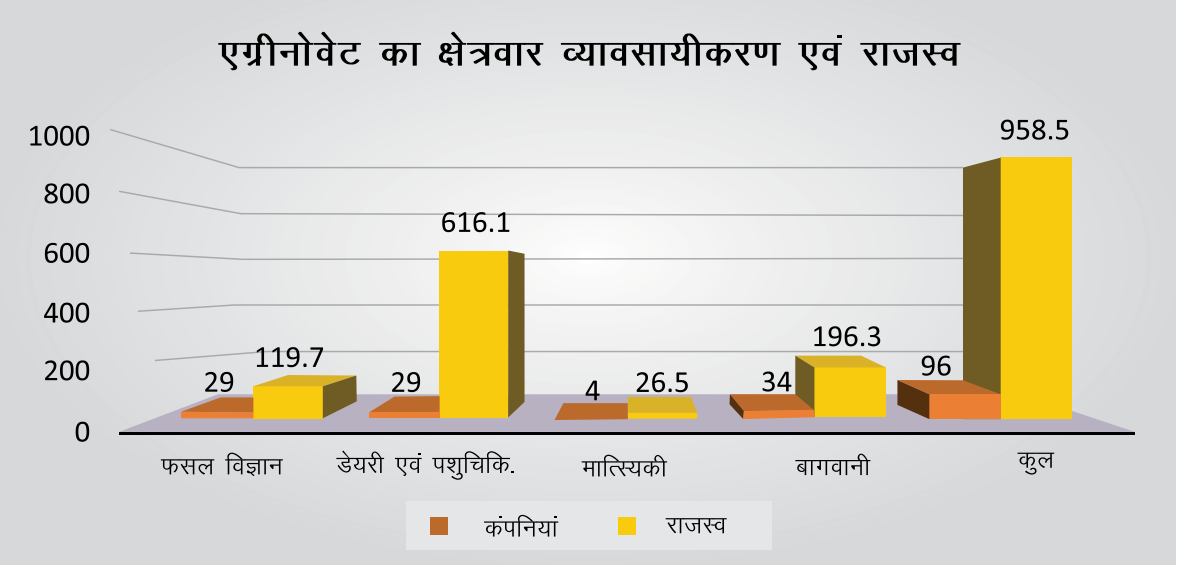

करने में मदद की। ये प्रौद्योगिकियाँ फसल विज्ञान (12.49%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (64.27%), बागवानी (20.47%) और मत्स्य पालन (2.76%) से सामने आईं।

एग्रीनोवेट द्वारा और अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल करने और इस प्रकार व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधार का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट को 59 संस्थानों और 4 विश्वविद्यालयों से लाइसेंसिंग के लिए उपलब्ध लगभग 600+ प्रौद्योगिकियों को सौंपा गया है।

कम्पनी का वेब पता

धारा 92 की उपधारा (3) में उल्लिखित कंपनी का वार्षिक रिटर्न www.agrinnovateindia.co.in पर रखा गया है।

लाभांश

निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि

कंपनी के बोर्ड ने 26.12 करोड़ रुपये आरक्षित निधि में ले जाने का प्रस्ताव रखा है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

डेयर के सचिव डॉ. हिमांशु पाठक को 4 अगस्त 2022 को कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 23 सितंबर, 2022 को आयोजित कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में उन्हें निदेशक के रूप में नियमित किया गया था। इसके अलावा, श्री संजय गर्ग, अपर सचिव, डेयर और सचिव, आईसीएआर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2 सितंबर 2021 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 सितंबर, 2021 को आयोजित कम्पनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियमित किया गया था।

इसके अलावा, 9 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में नए सहायक महानिदेशक (आईपी एंड टीएम) डॉ. नीरू भूषण को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती अलका अरोड़ा (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार) को 21 नवंबर 2022 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

डॉ. प्रवीण मलिक, पूर्व पशुपालन आयुक्त के इस्तीफे के बाद डॉ. जुज्जवरपु बालाजी, संयुक्त सचिव, समुद्री मत्स्य पालन, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार को 09.03.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड को शामिल करने वाले कैबिनेट नोट के अनुपालन में, श्री जी.के. नागराज और श्री आनंद मोहन अवस्थी को 25 फरवरी 2022 से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अन्य निदेशक वही रहे यानी डॉ. अशोक दलवई, सीईओ, एनआरएए।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) और धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) के साथ पठित कुछ समय के लिए लागू या पुनः अधिनियमन इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1	डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2	श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
3	सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव

बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पाँच बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक का दिनांक	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
06.06.2022	6
21.07.2022	7
04.08.2022	6
25.11.2022	6
09.03.2023	5

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर उनसे घोषणा ली जाएगी और उसका खुलासा निदेशक की रिपोर्ट में किया जाएगा।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 (श्अधिनियमश) की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी - 9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक

लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अनुसूचियों के नोट्स के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रॉयल्टी के संबंध में राजस्व पहचानने में विफल रही। कंपनी के पास विभिन्न पक्षों के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते में रॉयल्टी खंड के संबंध में कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी पार्टियों द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित/बेची गई इकाइयों पर नियंत्रण नहीं रखती है, जिसके आधार पर रॉयल्टी ली जा सकती है। अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्यों के कारण हम प्राप्य रॉयल्टी की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए प्राप्त रॉयल्टी द्वारा लाभ को कम बताया गया है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते के अनुसार विभिन्न संस्थानों को राजस्व हिस्सेदारी के संदर्भ में किए गए प्रावधानों पर टीडीएस काटने में विफल रही। टीडीएस की कटौती न करने पर टीडीएस के कारण आयकर विभाग द्वारा कंपनी पर देनदारी, देर से/गैर-भुगतान पर ब्याज और टीडीएस की कटौती न करने पर जुर्माना लगाया जाता है। हम आयकर विभाग द्वारा भविष्य की मांग की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए कराधान के प्रावधान को कम करके तथा आरक्षित एवं अधिशेष को अधिक बताया गया है।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर के वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में नवंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए रु. 17,90,578/- आईसीएआर-आईआईएचआर, बेंगलुरु को दिए जब कि वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 6,94,827/- का प्रावधान किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2022-23 लाभ एवं हानि खाते में रु. 10,95,751/- के इस खर्च को पूर्व अवधि के खर्च के रूप में न मानकर चालू वर्ष के वेतन के रूप में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ को असाधारण मद के रु. 10,95,751/- से पहले कम बताया गया है और वर्ष 2022-23 के लिए कराधान के प्रावधान को कम दर्शाया है।
4. कंपनी ने 84,660/- रुपये की राशि को व्यापार देय, अन्य देय रु. 2,78,700/-, आईसीएआर के साथ लाइसेंस शुल्क का बंटवारा रु. 2,21,23,888/- और लाइसेंस शुल्क में संस्थानों की हिस्सेदारी रु. 8,88,33,413/- दर्शाया है, जिसके लिए हमें किसी तीसरे पक्ष से पुष्टि नहीं मिली है। इसके अलावा कंपनी हमें उनके पते, ईमेल आदि जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करने में विफल रही है। आवश्यक विवरणों के अभाव में हम व्यापार देय, अन्य देय, आईसीएआर और संस्थानों से साझा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की तृतीय पक्ष पुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम ऐसे अधिशेषों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त ऑडिट टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा टिप्पणियाँ/स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और खातों पर टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और आगे कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के साथ पठित धारा 394(1) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाएगा और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाएगा।

धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, गाजियाबाद को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियाँ दी हैं जैसे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और डीपीई से संबंधित अनुपालन।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि यह टिप्पणी की गई है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149 और नियम 4 के अनुसार, कंपनी ने अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है। इस संबंध में, निदेशक बताना चाहेंगे कि कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधन डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है और उन्हें लागू कर रहा है। अन्य टिप्पणियाँ भविष्य के अनुपालन के लिए नोट की जाती हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण, जो भविष्य में चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा चालू चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ. अशोक दलवई – अध्यक्ष
2. श्रीमती. अलका अरोड़ा – सदस्य
3. डॉ. नीरू भूषण – सदस्य
4. श्री आनंद मोहन अवस्थी – सदस्य

ऑडिट समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा; आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है; आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना, कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना आदि।

नामांकन एवं पारिश्रमिकी समिति

नामांकन और पारिश्रमिकी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं

1. डॉ. अशोक दलवई – अध्यक्ष
2. डॉ. नीरू भूषण – सदस्य
3. श्री जी.के. नागराज – सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिकी से संबंधित एक नीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिश्रमिकी का स्तर और संरचना उचित और पर्याप्त है, पारिश्रमिकी का प्रदर्शन से संबंध स्पष्ट है और निष्पादन बेंचमार्क को पूरा करता है, और इसमें निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन शामिल है; प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन आदि के आधार पर बोर्ड को उसकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

ऋणों का विवरण

क्र. सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का नाम	राशि	प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण उपयोग का उद्देश्य	ऋण कितनी अवधि के लिए दिया गया है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	ब्याज की दर	जमानत
				शून्य					

निवेश का विवरण :

क्र. सं.	निवेश की तारीख	निवेशक का विवरण	राशि	जिस उद्देष्य के लिए निवेश से प्राप्त राशि को प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग करने का प्रस्ताव है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	अनुमानित आय की दर
				शून्य			

दी की गई गारंटी/जमानत का विवरण

क्र. सं.	दी गई गारंटी/ जमानत की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	जिस उद्देष्य के लिए दी गई गारंटी/ जमानत को प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग करने का प्रस्ताव है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो)	कमीशन
				शून्य			

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	लागू नहीं

प्रौद्योगिकी को अपनाना

प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
व्युत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित तकनीक पूरी तरह से अपना ली गई है	लागू नहीं
वे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया है, यदि कोई हो	लागू नहीं

विदेशी मुद्रा आय/व्यय

आय	रू 53,958/-
व्यय	शून्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं।

जमा

आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और इस प्रकार, बैलेंस शीट की तारीख तक मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ओएम क्रमांक CSR-15/0008/2014-Dir (CSR) दिनांक 23/01/2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि CSR के लिए DPE दिशानिर्देश मंत्री (HI-PE) के अनुमोदन से वापस ले लिए गए हैं और यह भी सुझाव दिया गया है कि कंपनी भविष्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियां शुरू करेगी।

वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं हैं।

यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति

कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति अपनाई है। समिति का गठन इस प्रकार है:-

1. डॉ. निधि वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि शिक्षा प्रभाग, आईसीएआर, कषि अनुसंधान भवन-II, पीठासीन अधिकारी;
2. श्रीमती धृति मदान, कंपनी सचिव, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य;
3. श्रीमती स्वाति भंडारी, वरिष्ठ कार्यकारी (प्रशासन), एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य
4. श्री एस.पी. सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 24 मार्च 2023 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक परिचयात्मक और जागरूकता बैठक आयोजित की। यह आयोजन सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की गहराई से समझ के मामले में एक बड़ी सफलता थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में, तथ्यों अलग होने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ/हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का;

ग) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए थे;

घ) वर्ष के दौरान साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ङ) एकमुश्त निपटान के समय किया गया मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

आभार

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

हम भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, एजीइन की गतिविधियों से जुड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान और पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सी एंड एजी के अधिकारियों और बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी दर्ज करते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हिमांशु पाठक
अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 अगस्त, 2023

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक विवरणी का सार
31.03.23 को समाप्त वित्तीय वर्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार।

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i	सीआईएन	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण का दिनांक	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी का वर्ग/उप-वर्ग	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी-2, 'ए' ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली
vi	क्या यह सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii	पंजीकार एवं ट्रांसफर एजेन्ट का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा

क्र सं	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यावसायिक गतिविधि कोड	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कम्पनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशत
1.	ए	कृषि	ए 4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण और प्रबंधन करना और सार्वजनिक लाभ के लिए इनका व्यावसायीकरण/ वितरण करना	शून्य
2.	ए	कृषि	ए 4	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन, लोकप्रियकरण करना, नामतः बीज, रोपण सामग्री, टीके, निदान, कई अन्य जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित इनपुट और उत्पाद, कृषि उपकरण और मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि।	100%

3.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुशल सेवाओं का पेशेवर विस्तार करना, जैसे परामर्श, अनुबंध अनुसंधान, अनुबंध सेवा, अनुकूलित क्षमता निर्माण, आदि।	0%
4.	ए	कृषि	ए 4	भारत के बाहर, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान और उत्पादन फार्म स्थापित करना। विभिन्न कार्यशालाओं और प्रगति के माध्यम से संस्कृति निर्माण पहल के हिस्से के रूप में वैश्विक ब्रांड निर्माण पहल का आरंभ करना।	0%
5.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि अभियांत्रिकी आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर टर्नकी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।	0%
6.	ए	कृषि	ए 4	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन	0%
7.	एम	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एम 3	मांग-संचालित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में दक्षताओं को एकीकृत करने हेतु गतिविधियां, जैसे बाजार की जानकारी, मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के मुद्दे आदि का संचालन करना।	0%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	शून्य				

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेक-अप)

क्र. स.	शेयर धारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव का प्रतिशत
		डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क.	प्रमोटर्स									

1.	भारतीय			शून्य				शून्य		
	क) व्यक्ति (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में)	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0	
	ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य
	ग) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक/ एफआई			शून्य				शून्य		
	ङ) अन्य कोई			शून्य				शून्य		
	उप योग : (क) (1)									
2	विदेशी									
	क) एनआरआई - व्यक्ति			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) अन्य - व्यक्ति			शून्य				शून्य		
	ग) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक/ एफआई			शून्य				शून्य		
	ङ) अन्य कोई			शून्य				शून्य		
	उप योग (क) (2)									
	प्रमोटरों का कुल शेयर होल्डिंग क= (क) (1)+(क) (2)									
ख.	**पब्लिक शेयर होल्डिंग**									
1.	**संस्थाएं**									
	क) म्यूचल फंड्स			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) बैंक/एफआई			शून्य				शून्य		
	ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य		
	घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य		
	ङ) वेंचर कैपिटल फंड			शून्य				शून्य		
	च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य		
	छ) एफआईआईएस			शून्य				शून्य		
	ज) फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स			शून्य				शून्य		
	ज) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (1)									
2.	**गैर-संस्थाएं**									
	क) निगमित निकाय			शून्य				शून्य		शून्य
	i) भारतीय			शून्य				शून्य		
	ii) विदेशी			शून्य				शून्य		

	ख) व्यक्ति			शून्य				शून्य		
	i) 1 लाख रुपये तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक			शून्य				शून्य		
	ii) 1 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक			शून्य				शून्य		
	ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (2)									
	कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)			शून्य				शून्य		शून्य
	सी) जीडीआर एवं एडीआर के कस्टोडियन द्वारा शेयर होल्डिंग			शून्य				शून्य		शून्य
	सकल योग (क+ख+ग)			5,00,00,000				5,00,00,000		शून्य

बी) प्रमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	श्री ए.जी. सुब्रमणियण्यम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	499,99,940	99.99988	शून्य	499,99,940	99.99988	शून्य	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्र	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-100%
3	श्री उदय शंकर पांडे	शून्य	शून्य	शून्य	10	0.00002	शून्य	+100%
4	श्री एस.के. उपाध्याय	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
5	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य

6	श्री राजेश कुमार	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
7	श्री शालीन अग्रवाल	10	0.00002	शून्य	10	0.00002	शून्य	शून्य
8	श्री जितेन्द्र मिश्रा	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-100%
9	श्री सुरजीत साहा	शून्य	शून्य	शून्य	10	0.00002	शून्य	+100%

डॉ. टी. महापात्रा के शेयरों का प्रतिनिधित्व अब श्री उदय शंकर पांडे द्वारा किया जाता है और श्री जितेंद्र मिश्रा के शेयरों का प्रतिनिधित्व अब श्री सुरजीत साहा द्वारा किया जाता है।

प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में बदलाव (यदि कोई बदनाव नहीं है तो निर्दिष्ट करें)

	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत
वर्ष के प्रारम्भ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/ घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत मे	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
शीर्ष के 10 शेयर होल्डरों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**
वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि अलगाव वर्ष के दौरान हो तो)	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों एवं केएमपी के शेयर होल्डिंग - शून्य			

	वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
प्रत्येक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कम्पनी के कुल शेयरों में प्रतिशत**
वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य			

वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/घटती, कारणों का उल्लेख करें (एलॉटमेंट / ट्रांसफर/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि				
वर्ष के अंत में	शून्य			

I. ऋणग्रस्तता — लागू नहीं

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज/उपार्जित ब्याज परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, सम्मिलित है।				
	सुरक्षित ऋण, जमा छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा (डिपोजिट)	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
जोड़	शून्य	शून्य	शून्य	
घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	
शुद्ध बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः लागू नहीं

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	**सकल वेतन**			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	लागू नहीं		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	लागू नहीं		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं		

2	स्टॉक का विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं		
4	कमिशन	लागू नहीं		
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं		
	अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं		
5	अन्य कृपया (स्पष्ट करें)	लागू नहीं		
	कुल (ए)	**लागू नहीं**		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

पारिश्रमिक का विवरण	**निदेशकों के नाम**			**कुल राशि**
1 स्वतंत्र निदेशकगण				
क) बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (1)				
2 अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण	श्री आनन्द मोहन अवस्थी	श्री जी. के. नागराज	-	1,04,000
क) बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	
ख) कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	
ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
योग (2)				
योग (बी)=(1+2)				1,04,000
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				
प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम				कुल
1.	सकल वेतन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	30,94,676	7,92,000	शून्य	38,86,676	
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य		शून्य	शून्य		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ का अंश	शून्य	शून्य	शून्य		
2.	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य		
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य		
4.	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमिशन अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य		
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (कंपनी की कार्यात्मक नीति के अनुसार प्रतिपूर्ति)	2,17,188	60,168	40,462		
	कुल	**33,11,864**	**8,52,168**	**40,462**	**42,04,494**	

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / दंड / लगाया गया कंपाउंडिंग शुल्क	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि हो तो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				
ग. डिफाल्ट में अन्य अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड	शून्य				
कंपाउंडिंग	शून्य				

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की रिपोर्ट

ए) कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन कंपनी के लोकाचार और इसके संचालन में नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के गतिशील कारोबारी माहौल में उच्च प्रदर्शन अभिविन्यास और एक अनुकूली प्रबंधन शैली के साथ अखंडता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत शासन संरचना की आवश्यकता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और अनुपालनों के सेट से कहीं अधिक है, इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित कॉर्पोरेट संरचना है जो जांच और संतुलन स्थापित करती है और संगठन में उचित स्तरों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है, हालांकि बोर्ड कंपनी के मामलों के प्रभावी नियंत्रण में रहता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड का मानना है कि दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न करने और एक स्थायी व्यवसाय मॉडल बनाए रखने के लिए अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएँ आवश्यक हैं।

कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचना बहुस्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल और विभिन्न समितियां शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की रणनीति के सफल कार्यान्वयन में सहायता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली मौजूद है। बोर्ड प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी में स्वतंत्र निर्णय लेता है और कंपनी की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बी) निदेशक मंडल

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई।

23.09.2022 को आयोजित बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशकों और समिति की सदस्यता, अध्यक्षता की संख्या के बारे में विवरण इस प्रकार हैं:-

निदेशक का नाम	वर्ग/पदनाम	वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरतों की संख्या	समितियों में सदस्यता की संख्या (लेखापरीक्षा समिति और एनआरसी समिति सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. हिमांशु पाठक	अध्यक्ष	3	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय गर्ग	उपाध्यक्ष	5	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमति अल्का नांगिया अरोड़ा	अपर निदेशक	1	नहीं			
डॉ. अशोक दलवई	निदेशक	4	नहीं	शून्य	2	2
डॉ. जे. बालाजी	अपर निदेशक	1	नहीं	शून्य	-	-
डॉ. नीरू भूषण	अपर निदेशक	1	नहीं	शून्य	-	-
श्री आनन्द मोहन अवस्थी	निदेशक	5	हां	शून्य	1	शून्य
श्री जी. के. नागराज	निदेशक	4	नहीं	शून्य	1	शून्य

सी) लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड में एक लेखापरीक्षा समिति मौजूद है। लेखापरीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय विवरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट, संविधानिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट, सी एंड एजी की टिप्पणियों की समीक्षा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की भी निगरानी करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा भी लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति ने 06 जून 2022, 21 जुलाई 2022, 25 नवंबर 2022 और 9 मार्च 2023 को 4 बैठकें कीं।

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना और आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	उपस्थिति	टिप्पणियां
1	डॉ. अशोक दलवई	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी निदेशक	3	-
2	डॉ. के. श्रीनिवास	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	3	इस्तीफा दे दिए हैं
3	डॉ. प्रवीण मलिक	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	2	इस्तीफा दे दिए हैं
4	श्रीमति अल्का नांगिया अरोड़ा	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	-
5	डॉ. नीरू भूषण	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	0	-
6	श्री आनन्द मोहन अवस्थी	सदस्य	गैर-सरकारी निदेशक	1	-

डी) नामांकन एवं पारिश्रामिकी समिति

आपकी कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिकी समिति मौजूद है। सरकारी कंपनियों के लिए दिए गए छूट को छोड़कर नामांकन और पारिश्रमिकी समिति के कार्य उपर्युक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं।

नामांकन और पारिश्रमिकी समिति में सदस्य के रूप में डॉ. अशोक दलवाय, डॉ. नीरू भूषण और श्री जी. के. नागराज शामिल थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिकी समिति की तीन बैठकें 8 अप्रैल 2022, 6 जुलाई 2022 और 25 नवंबर 2022 को आयोजित की गईं।

ई) वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वार्षिक आम बैठक की क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
11	2021-22	23.09.2022	दोपहर 12.00	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग नई दिल्ली	3
10	2020-21	30.09.2021	प्रात: 11.30	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग नई दिल्ली	2
9	2019-20	24.12.2020	प्रात: 10.30	जूम आडियो विजुअल साधनों के माध्यम से	2

एफ) प्रकटीकरण

i) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण।

भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण लेखा के नोट्स का हिस्सा है।

ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन नहीं किया गया है और किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं बरती गई है।

iii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और इसे बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

iv) राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

जी) आंतरिक लेखा परीक्षा / आंतरिक नियंत्रण प्रणाली / शक्तियों का प्रत्यायोजन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है और जब भी आवश्यक हो आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। कंपनी के पास शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से अपने विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रत्यायोजन है।

एच) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, नैतिकता सहित मुख्य मूल्य, वित्तीय मामले, व्यवसाय संचालन, जोखिम मामलों के बारे में अनुस्थापन (ओरिएंटेशन) और प्रेरण दिया जाता है। सामान्य अभ्यास पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश आदि प्रस्तुत करना है।

उपरोक्त के अलावा, निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई एवं अन्य संस्थानों द्वारा संचालित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण के लिए भी नामांकित किया जाता है।

आई) संचार के साधन

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.agrinnovateindia.co.in पर भी पोस्ट की जाती है, वेबसाइट पर निविदाएं और कैरियर के अवसर भी पोस्ट किए जाते हैं।

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है और हमारी कंपनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की बारहवीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

यह देखकर मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि विभिन्न बोर्ड बैठकों के दौरान हमने जो विचार रखे थे, उन्हें टीम द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे आगामी वर्ष में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मैं वर्ष के दौरान टीम एग्रीनोवेट के प्रदर्शन के लिए उनकी हार्दिक सराहना करता हूँ।

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आईसीएआर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देशों को अंततः एग्रीनोवेट के साथ सुसंगत बना दिया गया है, जिससे सभी विषयों/क्षेत्रों में व्यावसायीकरण का दायरा बढ़ गया है। अब हम साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की एक निश्चित स्थिति में हैं।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को रुपये 10.01 करोड़ (करों को छोड़कर) के सकल राजस्व पर 123 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

व्यावसायीकृत 123 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग वाली उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं,

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
1.	आईसीएआर-एनआरसीई एवं आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित लम्पी त्वचा रोग के लिए सजात वैक्सीन	4	300
2.	आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित लाइव एटेन्यूएटेड इंडिजीनियस सीएसएफ सेल कल्चर वैक्सीन (IVRI-CSF-BS)	1	60
3.	आईसीएआर-एनआईएसएचएडी द्वारा विकसित लो-पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा (LPAI) वैक्सीन	4	131.25
4.	आईसीएआर-आईएआरआई द्वारा विकसित एचटी ट्रैट डॉनर राइस जीनोटाइप टेक्नोलॉजी।	1	30
5.	आईसीएआर-आईआईएसआर द्वारा विकसित हार्ड जिलेटिन-बायोकैप्सूल के माध्यम से कृषि के लिए महत्वपूर्ण रोगाणुओं के भंडारण और वितरण की एक नवीन विधि	1	30
6.	आईसीएआर-सीपीआरआई द्वारा विकसित एरोपोनिक प्रौद्योगिकी।	2	27
7.	आईसीएआर-आईवीआरआई द्वारा विकसित बकरी-पॉक्स से बचाव के लिए एक जीवित क्षीणित वेरो सेल आधारित बकरी-पॉक्स टीका।	1	12.50

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
8.	आईसीएआर-आईआईएचआर द्वारा विकसित संकर मिर्च IHE4615, MS4, IHR4597 और CGMS लाइन 4392/4393	1	11.50
9.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित केले स्यूडोस्टेम का उपयोग करके तरल कार्बनिक फॉर्मूलेशन	1	23.94
	कुल	**16**	**626.19**

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 37 तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 8 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गई:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक का दिनांक
1.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	13.05.2022
2.	भाकृअनुप - शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल	06.12.2022
3.	भाकृअनुप - विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	08.12.2022
4.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी संस्थान	15.12.2022
5.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जानपदिक रोग विज्ञान एवं रोग सूचना संस्थान, बैंगलोर	06.02.2023
6.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	07.02.2023
7.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली	21.02.2023
8.	भाकृअनुप - भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	22.03.2023

3 व्यावसायीकरण की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को समझाने के लिए विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के साथ कई जागरूकता बैठकें आयोजित की गई।

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उनके टीम के लगातार और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ और कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार ब्रेकईवन बिंदु तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

आईसीएआर उद्योग हितधारकों की परामर्श बैठक

कंपनी ने प्रौद्योगिकियों को अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा तेजी से अपनाने के लिए उद्योग को तैयार करने हेतु अनुसंधान को आगे बढ़ाने में निजी सहयोग का पता लगाने के लिए 6 मार्च 2023 को एक दिवसीय आईसीएआर उद्योग हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया। तदनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा और औपचारिक रूप देने के लिए, आईसीएआर-उद्योग बैठक की परिकल्पना हमारे प्रमुख हितधारकों यानी आईसीएआर संस्थानों के नवप्रवर्तकों को हमारे ग्राहकों/प्रौद्योगिकी भागीदारों के सामने अपनी प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ की गई थी और साथ ही अनुसंधान को सकारात्मक परिणाम के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए बाजार से मिलने वाली प्रतिक्रिया को समझना।

इस कार्यक्रम ने उद्योग और संस्थानों के बीच अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने, समस्याओं पर चर्चा करने और नवप्रवर्तकों के बीच अंतर्निहित विचारों पर चर्चा करने और उन्हें प्रभावी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक सहज आचरण के रूप में काम किया। यह हमारे खरीदारों (ग्राहकों) और विक्रेताओं (संस्थानों) दोनों के लिए बातचीत करने, नवप्रवर्तकों को एग्रीनोवेट के माध्यम से उनकी प्रौद्योगिकियों को सहयोग करने, विकसित करने और व्यावसायीकरण करने के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करने का एक मंच था।

यह आयोजन सभी क्षेत्रों नामत: फसल विज्ञान, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि इंजीनियरिंग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा और जैव सूत्रण के लिए ब्रेकआउट सत्र के रूप में आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री कैलाश चौधरी, सचिव एवं महानिदेशक (डीएआरई/आईसीएआर) डॉ. हिमांशु पाठक उपस्थित थे। विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निजी क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञ उपस्थित थे।

यह बैठक बेहद सफल रही और इसमें 120 से अधिक उद्योग प्रतिभागियों, सभी आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर परिचयात्मक और जागरूकता बैठक

24 मार्च 2023 को आईसी समिति के सदस्यों और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक परिचयात्मक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें POSH अधिनियम, 2013 के क्या करें और क्या न करें पर एक प्रस्तुति देने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में पॉश एचके एसोसिएट्स की सुश्री हीना खुराना नागपाल को आमंत्रित किया गया था।

कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर था:-

1. POSH अधिनियम की विस्तृत समझ।
2. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आते हैं
4. कार्यस्थल पर तथा बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
5. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार।
6. झूठी शिकायतों के परिणाम
7. आईसी समिति आदि के बारे में जागरूकता।

- 24 जनवरी 2023 को एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के रास्ते तलाशने के लिए आईएफआईए भारत के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।
- आईसीएआर-निवेदी, आईसीएआर-एनबीएआईआर, आईसीएआर-एनआईएएनपी, आईसीएआर-एनडीआरआई और आईआईएससी-बैंगलोर में 6 और 7 फरवरी 2023 के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में

आईटीएमयू के साथ चर्चा की गई।

- बायोफोर्टिफाइड फसलों के व्यावसायीकरण के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग के संबंध में हार्वेस्टप्लस के साथ 7 मार्च 2023 को विभिन्न दौर की चर्चाएं की गईं, ताकि एग्रीनोवेट की पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिससे कुपोषण से निपटने के लिए जनता तक पहुंच बनाई जा सके।
- 10 मार्च 2023 को तकनीकी मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय उद्योग के साथ साझेदारी के लिए टीएम सलाहकार श्री नीरज कथूरिया के साथ बैठक आयोजित की गई।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग द्वारा लखनऊ में 28 फरवरी 2023 को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट और टीम ने भाग लिया ताकि जिला बागवानी कार्यालय, कुशीनगर तथा आलू अनुसंधान केन्द्र, हापुड के साथ CIAR-CPRI के दो तकनीकी लाईसेंसों पर हस्ताक्षर किया जा सके।

इनके अलावा, कई प्रतिष्ठित निकायों ने एग्रीनोवेट को नीतिगत विचार-विमर्श, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में भी आमंत्रित किया है। इसमे शामिल है: -

- डॉ. सुधा मैसूर, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 20 और 21 मई 2022 को आईसीएआर-आईआईएचआर द्वारा आयोजित "बागवानी प्रौद्योगिकियों के कुशल वितरण के लिए विस्तार सेवाएं" विषय पर राष्ट्रीय संवाद में 'बागवानी व्यवसाय इनक्यूबेशन और बागवानी क्षेत्र में स्टार्टअप' पर एक मुख्य वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था।.
- डॉ. सुधा मैसूर को 20 जुलाई 2022 को नोवेल पोर्टेबल मास स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम के सत्यापन और परीक्षण पर चर्चा के लिए आईसीएआर-सीआईएफटी, कोचीन द्वारा आमंत्रित किया गया था।
- डॉ. सुधा मैसूर ने नई दिल्ली में 'आईपी कमर्शियलाइजेशन इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड लेसन एण्ड पॉलसी अपर्च्यूनिटीस फॉर इंडिया एण्ड डेनमार्क' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के मुख्य करर्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक को 12 नवंबर 2022 को एपीएचसीए, सिंगापुर की 43वीं बिजनेस मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- चावल की फसलों में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट और आईसीएआर अधिकारियों की उपस्थिति में मेसर्स बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के साथ 29 नवंबर 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- 'बायोइकोनॉमी में तेजी लाने हेतु बायोटेक नवाचारों को बढ़ावा देने' पर जोर देते हुए राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए 15 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया।
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के सहयोग से आईसीएआर द्वारा "सिलेज उद्योग: डेयरी क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव" विषय पर 21 जनवरी 2023 को आयोजित सेमिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 9 फरवरी 2023 को सफीदों, जिला, जिंद हरियाणा में जैविक खेती कार्यान्वयन और किसान पाठशाला के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

- ग्राम गावड़, हिसार, हरियाणा में 10 फरवरी 2023 को आयोजित किसान फार्म प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को 'बीज विकास के लिए प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण – एग्रीनोवेट का दृष्टिकोण' पर चर्चा के लिए 4 मार्च 2023 को भारतीय बीज कांग्रेस में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- संयुक्त सचिव (विस्तार) और संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई) की संयुक्त अध्यक्षता में 21 मार्च 2023 को एएजी की 5वीं बैठक में भाग लिया।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2022-23 के दौरान, एग्रीनोवेट ने कई आईयीएआर संस्थानों को प्रभावी ढंग से संभाला और 10.01 करोड़ रुपये (रॉयल्टी सहित) का सकल राजस्व अर्जित करते हुए कुल लगभग 123 प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने में मदद की। ये प्रौद्योगिकियाँ फसल विज्ञान (12.49%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (64.27%), बागवानी (20.47%) और मत्स्य पालन (2.76%) से सामने आई।

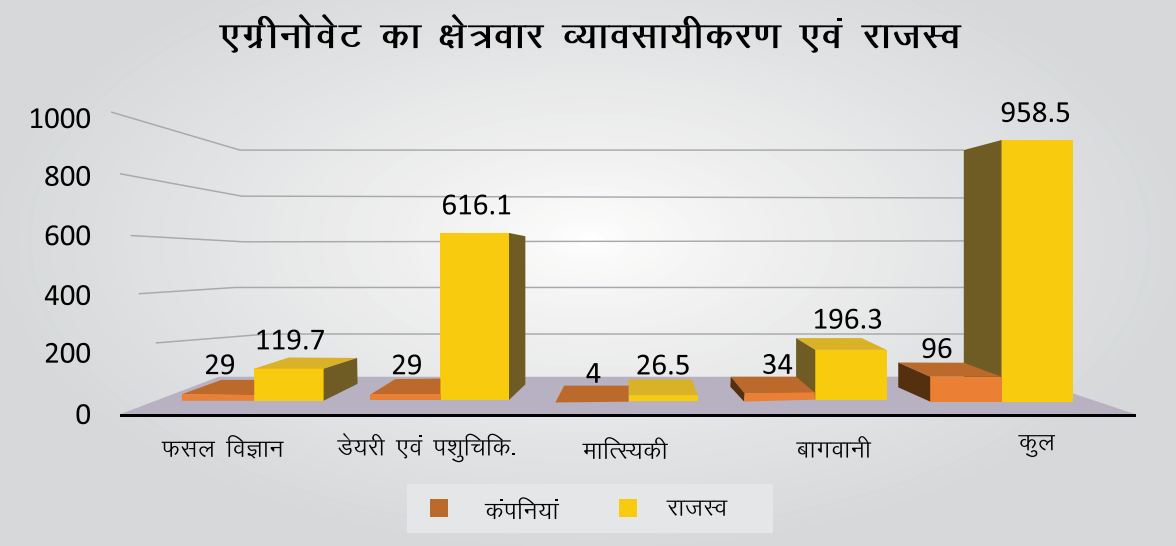

एग्रीनोवेट द्वारा और अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल करने और इस प्रकार व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधार का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट को 59 संस्थानों और 4 विश्वविद्यालयों से लाइसेंसिंग के लिए उपलब्ध लगभग 600+ प्रौद्योगिकियों को सौंपा गया है।

वित्तीय विशिष्टताएं

कंपनी ने परिचालन से पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की 5.33 करोड़ रुपयों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 10.01 करोड़ रुपयों का राजस्व हासिल किया है। मूल्यह्रास 0.03 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में यह 0.04 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी ने रु. 3.51 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जब कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह लाभ 1.54 करोड़ रुपये था। प्रति व्यवसाय प्रबंधक का राजस्व 133.37 लाख रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 250.49 लाख रूपए हो गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की गई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

आभार

मैं सभी स्तरों पर कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों की सराहना करता हूं, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

मैं भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, एग्रीनोवेट की गतिविधियों से जुड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर एग्रीनोवेट बोर्ड के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के प्रति उनके द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सी एंड एजी के अधिकारियों और बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी दर्ज करता हूं।

धन्यवाद
शुभेच्छु,

(हिमांशु पाठक)
अध्यक्ष और निदेशक
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 अगस्त, 2023

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2023 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

(रूपये सैकड़ों में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
I	**इक्विटी और देयताएं**			
	शेयर धारकों की निधियां			
(क)	शेयर पूंजी	2	5,000,000	5,000,000
(ख)	आरक्षित निधि और अधिषेश	3	2,612,062	2,260,815
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
(क)	व्यापार देय राशियां	4	847	0
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	5	1,140,113	691,265
(ग)	अल्पकालिक प्रावधान	6	141,626	17,709
	कुल		**8,894,647**	**7,969,789**
II	**आस्तियां**			
	गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क)	संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां			
(i)	संपत्ति, संयत और उपकरण	7	12,691	15,231
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	83
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	16	6,113	6,655
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
(क)	व्यापार प्राप्य	8	8	69
(ख)	नकद और नकद समकक्ष	9	8,374,403	7,728,953
(ग)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	10	501,433	218,798
	कुल		**8,894,647**	**7,969,789**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(विवेक खंडेलवाल)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 093751

(डॉ. नीरू भूषण)
निदेशक
डीआईएन: 10192549

(डॉ. हिमांशु पाठक)
निदेशक
डीआईएन: 09756105

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/08/2023

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(रूपये सैकड़ो में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आय :			
प्रचालनों से राजस्व	11	1,001,960	533,443
अन्य आय	12	462,632	281,135
कुल आय		**1,464,592**	**814,578**
व्यय :			
कर्मचारी हितलाभों पर व्यय	13	117,752	127,935
वित्त लागत	14	86	49
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7	2,708	3,575
अन्य व्यय	15	873,016	477,001
कुल व्यय		**993,562**	**608,560**
कर पूर्व लाभ		471,030	206,018
असाधारण वस्तुएं		–	–
कर पूर्व लाभ		471,030	206,018
कर व्यय :			
वर्तमान वर्ष		119,242	51,380
आस्थगित कर	16	542	528
वर्ष का लाभ		351,247	154,110
मूल		0.70	0.31
मिश्रित		0.70	0.31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(विवेक खंडेलवाल)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 093751

(डॉ. नीरू भूषण)
निदेशक
डीआईएन: 10192549

(डॉ. हिमांशु पाठक)
निदेशक
डीआईएन: 09756105

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/08/2023

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रूपये सैकड़ो में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो		
टैक्स से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	471,030	206,018
समायोजन के लिए:		
मूल्य ह्रास	2,708	3,575
ब्याज आय	(462,625)	(280,815)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/हानि	**11,113**	**(71,222)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन संपत्तियों में कमी/(वृद्धि) के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्य	61	(69)
अन्य वर्तमान संपत्तियां	(282,635)	(6,275)
परिचालन देयताओं में कमी/(वृद्धि) के लिए समायोजन:		
व्यापार देय	847	–
अन्य वर्तमान देयताएं	448,849	366,167
अल्पावधि प्रावधान	123,916	2,695
शुद्ध आयकर (भुगतान)/ रिफंड	(119,242)	(51,380)
परिचालन गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (क)	**182,909**	**239,916**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो		
सावधिक जमा पर ब्याज	462,625	280,815
निवेश गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (ख)	462,625	280,815
ग. वित्तीयन गतिविधियों से कैश फ्लो	–	–
वित्तीयन गतिविधियों से/ (उपयोग में लाए गए) नेट कैश फ्लो (ग)	–	–
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी/घटती (क+ख+ग)	645,534	520,731
वर्ष के प्रारम्भ में नकद और नकद के समकक्ष	7,728,953	7,208,222
वर्ष के अंत में नकद और नकद के समकक्ष	8,374,402	7,728,953

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(विवेक खंडेलवाल)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 093751

(डॉ. नीरू भूषण)
निदेशक
डीआईएन: 10192549

(डॉ. हिमांशु पाठक)
निदेशक
डीआईएन: 09756105

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/08/2023

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 1 : उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1.1 कार्पोरेट सूचना

क) कंपनी की स्थापना 19 अक्टूबर, 2011 को हुई थी। कंपनी कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत 100% भारत सरकार की कंपनी है।

ख) श्री राहुल कुमार, सीएफओ आईसीएआर के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या आईसीएआर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

ग) डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआर के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या आईसीएआर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

घ) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.100 करोड़ है जबकि कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 50 करोड़ है।

लेखांकन का आधार और वित्तीय विवरण तैयार करना

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जो कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं, के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य प्रथा के तहत संचय के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान संपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक होते हैं।

1.3 नकद और बैंक बैलेंस

नकदी में हाथ में नकदी और विदेशी मुद्रा में नकदी शामिल है। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प के तहत निर्धारित दरों और तरीके के अनुसार लिखित मूल्य

पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

1.5 पट्टे

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है।

1.6 राजस्व मान्यता

ब्याज आय के लिए नीति :

सावधि जमा और फ्लेक्सी जमा खाते पर ब्याज से प्राप्त राजस्व को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी गयी है।

रॉयल्टी आय के लिए नीति

रॉयल्टी को लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार प्राप्य आधार पर मान्य और अर्जित किया जाता है।

लाइसेंस शुल्क के लिए नीति

लाइसेंस शुल्क को तब मान्यता दी जाती है जब लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंस को संपूर्ण तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लाइसेंस आवंटित करने के लिए संबंधित व्यय को लाइसेंस की लागत (व्यय) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से होने वाले राजस्व को संबंधित प्रशिक्षण पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तारीख पर विदेशी मुद्रा राशि पर विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

बी) मौद्रिक मदों के निपटान पर या मौद्रिक मदों को उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, को उस वर्ष में जिस वर्ष वे उठते हैं, आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.8 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और ईएसआईसी के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

चूँकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में उस तारीख तक अर्हता प्राप्त अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण ऋण पर ब्याज और उस तिथि तक, जब तक इसका प्रस्तावित उपयोग प्रारम्भ नहीं होता है, इस पर किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। अचल संपत्तियों से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ में निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

1.10 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर सुस्त कमाई की गणना कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके की जाती है (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव सहित, यदि कोई हो) तथा लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित या सुस्त संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय के लिए समायोजन के पश्चात किया जाता है। प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा।

1.11 आय पर कर

वर्तमान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर के दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके गणना की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे बढ़ाने के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अन्य मदों के समय के अंतर के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब उचित निश्चितता मौजूद हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समान कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.12 परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है, यदि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है। जब कोई संकेत मिलता है कि पहले लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.13 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट : 2 शेयर पूंजी

(शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर जब कि अन्यथा कहा न गया हो, राशि सौ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	**अधिकृत**		
	प्रति 10/- रुपये राशि के 10,00,00,000 (10,00,00,000) शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
2	**जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और भुगतान किए गए**	1,00,00,000	1,00,00,000
	प्रति 10 रु. का इक्विटी शेयर 5,00,00,000 (5,00,00,000) पूर्णत: भुगतान किया	50,00,000	50,00,000
	कुल	**50,00,000**	**50,00,000**

(क) इक्विटी शेयर के साथ शर्त/अधिकार

कंपनी के पास 10 रु. प्रति शेयर के बराबर इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी तरजीही राशि के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंत्तियों को प्राप्त करने के हकदार हैं। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण होगा।

(ख) कंपनी में समग्र शेयरों का 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का ब्यौरा

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	5,00,00,000	5,00,00,000
	(धारित प्रतिशत)	100%	100%

(ग) प्रतिवेदित अवधि की शुरूआत और अंत में अधिशेष शेयरों का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार शेयरों की संख्या
	वर्ष की शुरूआत में	5,00,00,000	5,00,00,000
	वर्ष के अंत में	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**

(घ) वर्ष की शुरूआत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	4,99,99,940	99.9988%	शून्य
2	श्री उदय शंकर पाण्डेय, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश कुमार, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री सुराजीत साहा, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
कुल		5,00,00,000	100%	

(ङ) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	4,99,99,940	99.9988%	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्र, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश कुमार, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री जितेंद्र मिश्रा, भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में	10	0.00002%	शून्य
कुल		5,00,00,000	100%	

नोट : 3 आरक्षित निधियां और अधिशेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	**लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार अधिशेष :**		
	पिछले वित्तीय विवरणों से अग्रेषित शेष राशि	2,260,815	2,106,705
	योग : वर्ष में लाभ	351,247	154,110
	कुल	**2,612,062**	**2,260,815**

नोट : 4 व्यापार देय राशियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	एमएसएमई को देय कुल बकाया	–	–
2	एमएसएमई के अतिरिक्त देय कुल बकाया		
	क) लाइसेंस शुल्क का शेयर - आईसीएआर का शेयर	–	–
	ख) लाइसेंस शुल्क का शेयर - संस्थान का शेयर	–	–
	ग) अन्य	847	–
	कुल	**847**	–

नोट : 4.1 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुसार कालिक क्षय की व्यापार देय राशियां

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	(i) एमएसएमई	–	–	–	–	–
	(ii) अन्य	847	–	–	–	847
	(iii) विवादित बकाया एमएसएमई	–	–	–	–	–
	(iv) विवादित बकाया-अन्य	–	–	–	–	–
		847	–	–	–	**847**

नोट : 5 अन्य वर्तमान देयताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	सांविधिक बकाया देय	20,310	22,312
2	प्रतिभूति जमा	500	1,129
3	अन्य देय	2,607	3,095
4	संविदा वेतन देय	3,649	–
5	लाइसेंस शुल्क का शेयर-आईसीएआर का शेयर	221,239	121,044
6	लाइसेंस शुल्क का शेयर-संस्थानों का शेयर	888,334	543,107
7	अन्य	525	577
8	ग्राहकों से अग्रिम	2,950	–
	कुल	**1,140,113**	**691,265**

नोट : 6 अल्पकालिक प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	व्यय के लिए प्रावधान	22,384	17,709
2	आयकर के लिए प्रावधान	119,242	–
	कुल	**141,626**	**17,709**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां

(राशि सौ में)

क्र. सं.	आस्तियां	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				निवल संपत्तियां	
		01.04.22 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन/ समायोजन	31.03. 23 के अनुसार	01.04. 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन, यदि कोई हो	31.03. 2023 के अनुसार	31.03. 2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
1	भवन	17,149	-	-	17,149	8,917	782	-	9,699	7,450	8,232
2	फर्नीचर और फिक्सचर	44,691		-	44,691	39,729	1,285	-	41,014	3,677	4,962
3	कार्यालय उपकरण	29,494	166	-	29,660	29,052	211	-	29,263	396	442
4	बिजली की स्थापना और उपकरण	13,976	-	-	13,976	12,423	402	-	12,825	1,151	1,553
5	कम्प्यूटर और सहायक सामग्री	11,606	-	-	11,606	11,564	26	-	11,590	16	42
	उप-योग	116,915	166	-	117,081	101,684	2,706	-	104,390	12,691	15,231
(ख)	अमूर्त आस्तियां										
6	सॉफ्टवेयर	1,658	-	-	1,658	1,575	-	83	1,658	-	83
	उप-योग	1,658	-	-	1,658	1,575	-	83	1,658	-	83
	सकल योग (वर्तमान वर्ष)	118,574	166	-	118,739	103,260	2,708	83	106,049	12,691	15,314
	सकल योग (पिछला वर्ष)	118,574	-	-	118,574	99,685	3,575	-	103,260	15,314	18,889

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट : 8 व्यापार प्राप्य

(राशि सौ ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	06 माह से 01 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	8	–	–	–	–	8
2	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	–	–	–	–	–	–
3	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
4	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	–	–	–	–	–	–
	कुल						**8**

नोट: व्यापार प्राप्य पुष्टि के अधीन हैं

नोट : 9 नकद और नकद तुल्य

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	**नकद और नकद तुल्य**		
	बैंक सहित शेष राशि		
	- चालू खाते में	109,425	727,454
	- 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा खाते में	8,264,931	7,001,498
2	नकद रूप में उपलब्ध राशि	47	1
	कुल (क+ख)	**8,374,403**	**7,728,953**

नोट : 10 अन्य वर्तमान आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	राजस्व अधिकारियों के पास शेष	167,426	63,463
2	सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	334,007	155,218
3	पूर्वप्रदेय व्यय	–	118
		501,433	218,798

नोट : 11 प्रचालनों से राजस्व

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	लाइसेंस शुल्क	958,558	532,850
2	परामर्शी सेवा शुल्क	43,402	593
	कुल	**1,001,960**	**533,443**

नोट : 12 अन्य आय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	सावधि जमा पर ब्याज	460,802	280,815
2	विविध	–	–
3		1,823	
4		7	320
	कुल	**462,632**	**281,135**

नोट : 13 कर्मचारी हितलाभों पर व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1	वेतन		
	स्थायी कर्मचारियों के लिए	30,947	51,406
	संविदा कार्मिकों के लिए	47,606	37,569
	एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए	38,269	37,209
2	व्यय की प्रतिपूर्ति	930	1,751
	कुल	**117,752**	**127,935**

नोट : 14 वित्त लागतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	बैंक प्रभार	86	49
	कुल	**86**	**49**

नोट : 15 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	मूल्यह्रास	2,708	3,575
	कुल	**2,708**	**3,575**

नोट : 16 अन्य व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	अन्य प्रत्यक्ष लागतें		
1	लाइसेंस शुल्क की लागत	801,558	427,954
2	अभिगम हितलाभ शेयर (एनबीए)	10,081	3,180
	अन्य अप्रत्यक्ष लागतें		
1	प्रशासनिक व्यय	1,672	1,099
2	बिजली और पानी	4,066	4,238
3	किराया, दरें और कर	3,041	1,748
4	सामान्य सेवा शुल्क	6,482	1,354
5	मुद्रण और स्टेशनरी	3,372	3,851
6	संचार	6,033	169
7	वाहन किराया पर लेने का व्यय	8,082	6,809
8	देशीय यात्रा	4,423	1,325
9	विज्ञापन	629	3,486
10	शुल्क और सदस्यता	3,163	339
11	बीमा	109	108
12	मरम्मत और रखरखाव		
	-अन्य	10,204	14,216
13	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	4,271	4,991
14	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	250	250
15	सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क	60	50
16	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
	- लेखापरीक्षा शुल्क	460	460
17	जीएसटी पर ब्याज	85	-
18	टीडीएस पर ब्याज	-	227
19	प्रावधान (पी/वाई)	4,881	-
20	विविध	-	1,148
21	बट्टे खाते डाले गए सॉफ्टवेयर	83	-
22	विनिमय का अंतर	13	-
	कुल	**873,016**	**477,001**

नोट : 17 आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	**डब्ल्यूडीवी के कारण**		
	कंपनी अधिनियम के अनुसार	12,691	15,314
	आय कर के अनुसार	36,977	41,756
	कंपनी अधिनियम के ऊपर आय कर के रूप में डब्ल्यूडीवी तक पहुंच	(24,287)	(26,442)
	कुल	24,287	26,442
	आस्थगित कर आस्तियां @ 25.168%	**6,113**	**6,655**
	लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए	**542**	**528**

नोट : 18 प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार प्राप्त निवल लाभ	351,247	154,110
इक्विटी शेयर धारक	5,00,000	5,00,000
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,00,000	5,00,000
क. प्रति 10/- रुपये शेयर मूल आय	0.70	0.31
ख. प्रति 10/- रुपये शेयर मिश्रित आय	0.70	0.31

नोट : 19 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं मौजूद हैं :-		
क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के खिलाफ दावे		
- माल और सेवा कर मामले	शून्य	शून्य
- आयकर मामले	शून्य	शून्य
- अन्य मामले	शून्य	शून्य
श्रीमती निधि गोधा का वेतन	41,930	41,930
ख) पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	शून्य	शून्य

नोट : 20 संबंधित पक्षकार लेनदेन प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों के नाम जहां नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेन-देन हुआ है और उनका संबंध :

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले व्यक्ति :

- डॉ. हिमांशु पाठक, अध्यक्ष एवं निदेशक (01/08/2022 से)

- श्री त्रिलोचन महापात्र, निदेशक (31-07-2022 तक)
- श्री संजय गर्ग, निदेशक
- डॉ. अशोक महादेव राव दलवई, निदेशक
- श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा, निदेशक (21-11-2022 से)
- डॉ. प्रवीण मलिक, निदेशक (10-11-2022 तक)
- डॉ. कोंडापी श्रीनिवास, निदेशक (13-02-2023 तक)
- डॉ. नीरू भूषण, निदेशक (09-03-2023 से)
- श्री आनंद मोहन अवस्थी, निदेशक
- श्री गौंडर करुपना नागराज, निदेशक
- डॉ. सुधा मैसूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (22-09-2022 तक)
- डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (22-09-2022 से)
- श्री सौरभ मुनि, मुख्य वित्त अधिकारी (21-07-2022 तक)
- श्री राहुल कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी (21-07-2022 से)
- सुश्री धृति मदान, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि सौ ₹ में)

	विवरण	संबंध	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 का समाप्त वर्ष के लिए
1	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक**			
	- डॉ सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	30,947	51,406
	- सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	7,920	7,200
2	**व्यय की प्रतिपूर्ति**			
	- डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	723	-
	- श्री सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1,449	791
	- श्री सौरभ मुनि	मुख्य वित्त अधिकारी	113	609
	- श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्त अधिकारी	292	-
	- सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	602	-
3	**निदेशक बैठक शुल्क**			
	- श्री आनंद मोहन अवस्थी	निदेशक	540	100
	- श्री गौंडर करुपाणा नागराज	निदेशक	500	100

नोट 21 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 1022(ई) जारी की है, जो सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों को देय राशि के संबंध में कुछ प्रकटीकरण निर्धारित करती है। तदनुसार, विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण किया गया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किए जाने के कारण बकाया मूलधन एवं उस पर देय ब्याज		
-मूलधन	-	-
-ब्याज	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, (अधिनियम) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय राशि और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अप्रदत्त शेष राशि	-	-
बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया गया देय ब्याज जैसा कि ऊपर वर्णित है	-	-

नोट 22 : आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' पर एएस-22 का पालन कर रही है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और इसे केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है कि एक वर्चुअल निष्चितता हो कि संपत्ति को भविष्य में प्राप्त किया जाएगा।

नोट 23 : मुख्य अनुपातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	अंतर का प्रतिशत	यदि 25 प्रतिशत से अधिक अंतर है तो इसका कारण
1	वर्तमान अनुपात (गुना)	कुल वर्तमान आस्तियां	कुल वर्तमान देयताएं	6.92	11.21	38%	संस्थान और आईसीएआर के संबंध में देनदारी बढ़ने के कारण शेयर का भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना)	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय (1)	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	इस वर्ष का लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	5%	2%	120%	सावधि जमा पर ब्याज आय में वृद्धि के कारण
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुना)	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	26024.94	15462.11	68%	वर्ष के दौरान सभी भुगतानों की वसूली के कारण देनदारों में गिरावट आई
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	निवल क्रेडिट खरीद	माल के लिए देय औसत व्यापार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निवल पूंजी टर्नओवरअनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	0.14	0.07	81%	संस्थान और आईसीएआर के संबंध में देनदारी बढ़ने के कारण शेयर का भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है।
8	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर पश्चात लाभ	बिक्री एवं सेवाओं का मूल्य	35%	29%	21%	महत्वपूर्ण नहीं
9	लगाई गई पूंजी पर रिटर्न (%)	ईबीआईटी	लगाई गई पूंजी	6%	3%	106%	सावधि जमा पर ब्याज आय में वृद्धि के कारण
10	निवेश पर रिटर्न	शुद्ध लाभ/पीएटी	निवेश की लागत	7%	4%	76%	सावधि जमा पर ब्याज आय में वृद्धि के कारण

नोट 24 : अन्य सांविधिक सूचना

क) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

ख) कंपनी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। प्रवर्तक, निदेशक, केएमपी, संबंधित पक्ष; जो मांग पर चुकाने योग्य हैं या जहां समझौते में चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

ग) कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास वित्तीय वर्ष के दौरान या रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद किसी भी समय कंपनी को इरादतन डिफॉल्टर घोषित करने की शक्तियां हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने की तारीख से पहले।

घ) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य में निवेश करेगा कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्ति या संस्थाएं या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करते हैं।

ङ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत काट दी गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन और/या बकाया राशि नहीं है।

छ) कंपनी के पास कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान)।

ज) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है।

झ) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

ञ) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

ट) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(राशि सौ ₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23
व्यय	शून्य
आय	53958/- रुपये

नोट 25 : पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित /पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(विवेक खंडेलवाल)	**(डॉ. नीरू भूषण)**	**(डॉ. हिमांशु पाठक)**
भागीदार :	निदेशक	निदेशक
सदस्यता संख्या: 093751	डीआईएन: 10192549	डीआईएन: 09756105

स्थान : नई दिल्ली	**(डॉ. प्रवीन मलिक)**	**(धृति मदान)**	**(राहुल कुमार)**
दिनांक : 17.08.2023	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी
	PAN: ADUPM5768N	सदस्यता सं. A-27642	PAN: DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

'एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं'

(राशि सौ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	01 वर्ष से कम	01-02 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	ईएसएफ-सिक्योरिटस ESF–ECURITAS	847	–	–	–	847
	कुल योग	**847**	**–**	**–**	**–**	**847**

सांविधिक बकाया देय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक
1	स्रोत पर कर कटौती	16,919
2	जीएसटी पर टीडीएस	3,391
3	देय आयकर (AY 2023-24)	–
	कुल	**20,310**

चालू खातों में बैंकों में शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक
1	केनरा बैंक	3,509
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15,547
3	Cheques in Hand'	97,388
	कुल	**109,425**

चालू खातों में बैंकों में शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक
1	सूरजश्री केमिकल्स लिमिटेड	250
2	क्वालिटी एक्सपोर्ट्स	767
3	डब्ल्यूएस टेलीमैटिक्स प्रा. लिमिटेड	20
4	नव दुर्गा एग्रोसाइंस प्रा. लिमिटेड	250
5	ग्रो इंडिगो प्रा. लिमिटेड	300
6	आईआईएल बायोलॉजिकल लिमिटेड	250
7	पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान	625
8	बीज शीतल रिसर्च प्रा. लिमिटेड	45
9	सेंसर्टिक्स प्रा. लिमिटेड	100
	कुल	**2,607**

ग्राहकों से अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक
1	नंदी एग्रोवेट	2,950
	कुल	**2,950**

राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक
1	राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष राशि	11,8309
2	जीएसटी आईटीसी	14,876
3	वापसी योग्य आयकर (A-Y 2020-21)	15,051
4	वापसी योग्य आयकर (A-Y 2022-23)	19,191
	कुल	**167,426**

व्यापार प्राप्य परिपक्वन समयावधि

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	01-02 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	फ्लोरेसर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-	-	-
2	टेरेस्ट्रियल फूड्स लिमिटेड	8	-	-	-	-	8
	कुल	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**

एग्रिनोवेट इंडिया लिमिटेड

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यह्रास का विवरण

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	01 अप्रैल, 2022 तक डब्ल्यूडीवी	वर्ष के दौरान परिवर्धन (जोड़)			बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक कुल	वर्ष में मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 तक डब्ल्यूडीवी
			01 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022	01 अक्तूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023	कुल परिवर्धन				
भवन	10%	7,792			–	–	7,792	779	7,013
इलेक्ट्रिक फिटिंग सहित फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	20,187			–		20,187	2,019	18,169
कार्यालय उपकरण	15%	13,508	–	166	166		13,673	2,039	11,635
कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	40%	269	–	–	–	–	269	107	161
कुल		**41,756**	**–**	**166**	**166**	**–**	**41,921**	**4,944**	**36,977**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में इन्हें "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार खण्ड में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी देते हैं जो आवश्यक तरीके से और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसके लाभ, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

योग्य राय का आधार

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रॉयल्टी के संबंध में राजस्व पहचानने में विफल रही। कंपनी के पास विभिन्न पक्षों के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते में रॉयल्टी खंड के संबंध में कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी पार्टियों द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित/बेची गई इकाइयों पर नियंत्रण नहीं रखती है, जिसके आधार पर रॉयल्टी ली जाएगी। अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्यों के कारण हम प्राप्य रॉयल्टी की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए प्राप्त रॉयल्टी द्वारा लाभ को कम बताया गया है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते के अनुसार विभिन्न संस्थानों को राजस्व हिस्सेदारी के विरुद्ध किए गए प्रावधानों पर टीडीएस काटने में विफल रही। टीडीएस की कटौती न करने पर टीडीएस के कारण आयकर विभाग द्वारा कंपनी पर देनदारी, टीडीएस का देर से भुगतान न करने पर ब्याज और टीडीएस की कटौती न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हम आयकर विभाग द्वारा भविष्य की मांग की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए कराधान के प्रावधान को कम करके तथा आरक्षित एवं अधिशेष को अधिक बताया गया है।
3. **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधा मैसूर के वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में** नवंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए रु. 17,90,578/- आईसीएआर-आईआईएचआर, बेंगलुरु को दिए जब कि वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 6,94,827/- का प्रावधान किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2022-23 लाभ एवं हानि खाते में रु.10,95,751/- के इस

खर्च को पूर्व अवधि के खर्च के रूप में न मानकर चालू वर्ष के वेतन के रूप में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ को असाधारण मद के रु.10,95,751/- से पहले कम बताया गया है और वर्ष 2022-23 के लिए कराधान के प्रावधान को कम दर्शाया है।

4. कंपनी ने 84,660/- रुपये की राशि को व्यापार देय, अन्य देय रु. 2,78,700/-, आईसीएआर के साथ लाइसेंस शुल्क का बंटवारा रु. 2,21,23,888/- और लाइसेंस शुल्क में संस्थानों की हिस्सेदारी रु. 8,88,33,413/- दर्शाया है, जिसके लिए हमें किसी तीसरे पक्ष से पुष्टि नहीं मिली है। इसके अलावा कंपनी हमें उनके पते, ईमेल आदि जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करने में विफल रही है। आवश्यक विवरणों के अभाव में हम व्यापार देय, अन्य देय, आईसीएआर और संस्थानों से साझा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की तृतीय पक्ष पुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम ऐसे अधिशेषों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और वहां के नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से अलग एवं स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित थे संपूर्ण, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम "योग्य राय के लिए आधार" खण्ड में वर्णित मामलों को छोड़कर इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने यह निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख ऑडिट मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हमने उपरोक्त पहचानी गई रिपोर्टें पढ़ीं, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि इसमें एक महत्वपूर्ण गलत बयानी है, हमें इस मामले को शासन के प्रभार वाले लोगों तक पहुंचाना और परिस्थितियों और लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार आवश्यक उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामले के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और अधि नियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामले का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के वर्तमान चिंताओं के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि

धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की लाभकारी कारोबार के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्यों का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और लेखा परीक्षा का समय और ऑडिट के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को एक विवरण भी उपलब्ध करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपायों पर संवाद करना ।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण की भयावहता है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरण के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारक पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरण में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का रखाव किया है।

सी) इस रिपोर्ट में मौजूद बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

डी) "योग्य राय के आधार" पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए, निदेशकों से 31 मार्च, 2023 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम के धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त हेतु 31 मार्च, 2023 तक अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

जी) अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में;

- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

एच) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

I. कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

II. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

III. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

IV. (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या तो किसी भी फंड (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से), को विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं किया गया है। वह मध्यस्थ यह करेगा कि:

कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए ("अंतिम लाभार्थी") अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के नोट्स में उल्लेखित के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित, किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों या इकाई / इकाईयों से इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी ऐसा करेगी;

ख चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी से या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दें या निवेश करें

ख अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना; और (iii) और ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

V. कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

VI. अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में;

-हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संबंधित वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

VII. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के रूप में यह कंपनी के लिए केवल 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, **हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान अनुलग्नक "बी" में देते हैं।**

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार मामलों पर एक रिपोर्ट **"अनुलग्नक-सी और अनुलग्नक-डी"** के रूप में संलग्न है।

चार्टेड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन

चार्टेड एकाउन्टेंट विवेक खण्डेलवाल
पार्टनर
एम. नम्बर : 093751
UDIN : 23093751BGYQHC3184

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(सम तारीख की एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खण्ड के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2023 तक एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ("कंपनी") के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरण और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन के स्तर के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

- कंपनी के पास प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौतों के अनुसार प्राप्य रॉयल्टी की मान्यता पर उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से राजस्व की कम बयानी हो सकती है।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ("मार्गदर्शन नोट") मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित करती हैं।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन

चार्टेड एकाउन्टेंट विवेक खण्डेलवाल
पार्टनर
एम. नम्बर : 093751
UDIN :23093751BGYQHC3184

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर खण्ड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

(i) (ए)(क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं कर रही है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाने वाला उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है।

(बी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है; इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(सी) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश का खंड 3(i)(सी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने व्यवसाय में कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ii)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(बी) कंपनी ने वर्तमान परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी नहीं ली है, इसलिए आदेश का खंड 3(ii)(बी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(iii) के तहत आदेश लागू नहीं है।

(iv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अनुसार कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के तहत आदेश लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत आदेश लागू नहीं होती है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(vi) के तहत आदेश लागू नहीं है।

(iv) (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी माल और सेवा कर, आयकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों को जमा करने में नियमित है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया का कोई निर्विवाद बकाया नहीं है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि उप-खंड (ए) में उल्लिखित कोई भी विवादित वैधानिक बकाया वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया नहीं था।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें ऐसा कोई लेनदेन नहीं मिला है, जो पहले लेखा किताबों में दर्ज नहीं किया गया था और आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभिभूत या खुलासा किया गया हो।

(vi) (ए) हमारी राय में और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने पर, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) के तहत आदेश लागू नहीं है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत आदेश लागू नहीं है।

(ई) कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी के कारण या उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई धनराशि नहीं ली है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii)(ए) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान आईपीओ या पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (एक्स) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (एक्स) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

i (ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है।

(सी) हमें कंपनी के खिलाफ विचाराधीन वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर के रूप में कोई शिकायत नहीं मिली है।

ii कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

iv (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(बी) ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

v हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xv) लागू नहीं होती है।

vi हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

(ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-(IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(सी) हमारी राय में कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(डी) हमारी राय में और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii कंपनी को वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

viii विचाराधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों के इस्तीफे की कोई घटना नहीं हुई है।

i हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, काल पक्वन (एजिंग) और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी उस तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों और बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

ii हमारी राय में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (ए) और (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 093751
UDIN : 23093751BGYQHC3184

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "सी"

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए)

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खण्ड के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1	कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख कहां है? यदि नहीं, तो कृपया बताएं, फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल जिसके लिए स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	31.03.2023 तक कोई फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि नहीं है
2	क्या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने की कोई मामलें हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इनमें शामिल राशि।	ऐसा कोई मामले नहीं हैं।
3	क्या सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में तीसरे पक्ष के पास पड़ी और संपत्तियों सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है।	कंपनी में कोई इन्वेंट्री नहीं है और सरकार या अन्य अधिकारियों से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए लागू नहीं है

ऐसे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, उस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 093751
UDIN : 23083751BGYQHC3184

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-डी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की समेकता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है। सभी लेखांकन प्रविष्टियाँ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में दर्ज की जाती हैं और सभी प्रविष्टियों के अनुमोदन और समापन के बाद खाता तैयार किया जाता है। इसलिए, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई प्रभाव नहीं है।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का विवरण दिया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।

ऐसे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, उस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 093751
UDIN :23093751BGYQHC3184

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिकी) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, ए.ए.एस.सी. परिसर
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (CIN U01400DL2011GOI226486) (इसके बाद इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

(क) कंपनी की खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्म एवं रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष ('ऑडिट अवधि') को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और विषय के अनुरूप अनुपालन-तंत्र इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, तरीके से मौजूद हैं और:

(ख) हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) **डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और वहां बनाए गए विनियम और उपनियम); ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(iv) **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया था);**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश-(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करने पर, कंपनी ने आम तौर पर कंपनी के

लिए विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है। प्रबंधन द्वारा पहचान की गई, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961, कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश आदि शामिल हैं, कंपनी पर उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक अनुपालन किया गया है।

(x) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समझौतों का सूचीकरण **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**।

(x) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

a) कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 के अनुसार, कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होंगे, हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

b) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और 31 मार्च, 2023 तक बोर्ड और इसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण अन्य संबद्ध आवश्यकताओं जैसे समिति की बैठकों के लिए कोरम, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आदि में भी विचलन हुआ है।

c) कंपनी ने कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति तैयार और अनुमोदित नहीं की है।

d) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क के साथ फॉर्म और रिटर्न दाखिल किए हैं।

e) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार

1. बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ऑडिट समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक को करना चाहिए, हालाँकि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2. किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड को देखने पर, हमने पाया कि दिनांक 25.11.2022 और 09.03.2023 की बोर्ड बैठकों के बीच समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

3. बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की।

4. कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमें कंपनी के व्यवसाय की जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और ऐसी जिम्मेदारियां निभाने का तरीका शामिल होगा। उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक नैतिकता के मॉडल कोड और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हालाँकि, कंपनी के पास नए बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई नीति नहीं है।

ङ) **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों** *के उचित संतुलन के साथ किया गया है, सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर पैरा डी में बताया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।*

च) **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** आम तौर पर बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कभी-कभी नोटिस और एजेंडा कागजात बोर्ड की सहमति से अल्प सूचना से भेजे जाते थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड में एक प्रणाली मौजूद है।

ख) **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** आम तौर पर बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कभी-कभी नोटिस और एजेंडा कागजात बोर्ड की सहमति से अल्प सूचना से भेजे जाते थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड में एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

ग) **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** प्राप्त जानकारी और रखरखाव किए गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

पारूल जैन
प्रोपराइटर

एम. नम्बर एफ 8323
सी. पी. नम्बर 13901
यूडीआईएन : एफ008323ई000741748

दिनांक : 04.08.2023
स्थान : गाजियाबाद

अनुलग्नक - ए

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जे-2, 'ए' ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि ये सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
5. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
7. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

पारूल जैन
प्रोपराइटर

एम. नम्बर एफ 8323
सी. पी. नम्बर 13901
यूडीआईएन : एफ008323ई000741748

दिनांक : 04.08.2023
स्थान : गाजियाबाद

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली मानकों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली-110012

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस निर्देश 2010 के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों और बयानों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारा प्रमाणन कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर न तो ऑडिट है और न ही अपनी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है:

1. बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ऑडिट समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक को करना चाहिए, हालाँकि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड को देखने पर, हमने पाया कि दिनांक 25.11.2022 और 09.03.2023 की बोर्ड बैठकों के बीच समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।
3. बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की।
4. कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमें कंपनी के व्यवसाय की जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और ऐसी जिम्मेदारियां निभाने का तरीका शामिल होगा। उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक नैतिकता के मॉडल कोड और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हालाँकि, कंपनी के पास नए बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई नीति नहीं है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: S2014UP280200

पारूल जैन
प्रोपराइटर
एम. नम्बर एफ 8323
सी. पी. नम्बर 13901

दिनांक : 04.08.2023
स्थान : गाजियाबाद

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

गोपनीय

रिपोर्ट/2-174/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/A/cs/Agrinnovate/2023-24/ 380

दिनांक :- 16.10.2023

सेवा में,

निदेशक एवं अध्यक्ष,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,
जी-2, ए ब्लोक, एन.ए.एस.सी. कॉम्पलैक्स,
डी.पी.एस. मार्ग,
नई दिल्ली-110012.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियां। भेजी जा रही |

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि

(गुरवीन सिदधू)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी.ए.जी. संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail pdaafwr@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRINNOVATE INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17th August 2023.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2023 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 16 .10.2023

(Gurveen Sidhu)
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)